

शिक्षा विभाग में नए सिरे से होगा पदों का आवंटन

स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार दिए जाएंगे पद, विभाग ने मांगी विद्यार्थियों की संख्या

जयपुर • प्रदेशभर के स्कूलों में अब शिक्षकों के पदों का आवंटन नए सिरे से होगा। बहुत से स्कूल मर्ज हुए हैं। इसके साथ ही बहुत से स्कूलों में छात्र संख्या में भी कमी बढ़ोतरी हुई है। अब शिक्षा निदेशालय इन स्कूलों में नए सिरे से पदों का आवंटन करने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए शाला दर्पण पर एक पॉपअप शुरू किया गया है। सभी संस्था प्रधानों को 20 अक्टूबर तक पोर्टल पर विद्यार्थियों की नई छात्र संख्या अपडेट करनी है। अब छात्र संख्या के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षक मिलेंगे।

गौरतलब है कि 2015 में सरकार ने स्टॉफिंग पैटर्न लागू किया था, उस समय शिक्षा विभाग में करीब 70 हजार पदों को समाप्त किया गया। इसके विरोध के बाद सरकार ने 2 वर्ष बाद समीक्षा की बात कही थी। सरकार नामांकन बढ़ने का भी दावा कर रही है। सरकार का कहना है कि स्कूलों में 15



व्याख्य से अधिक का नामांकन बढ़ा है। अब बढ़े नामांकन के आधार पर ही स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए सिरे से स्कूलों में शिक्षकों के पदों का आवंटन होगा।

सरकार ने 2013 के बाद के नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व हिंदी के व्याख्याताओं के पद अब तक नहीं दिए हैं। वे पद भी इसमें सृजित किए जाने चाहिए। स्टाफिंग पैटर्न नए नियम के आधार पर होना चाहिए।

 विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक-शिविरा / माध्य / संस्था / एफ-1ए / डीपीसी / 12128 / 2018

दिनांक - ०५.०६.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।

> विषय:- प्राशि अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि विधालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विधालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ –6/सैट–अप/वो.2/2019 दिनांक 03.06.2019 की पालना सुनिश्चित करावें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

१०५ ०० प्रिशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर नि:शुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के पार्ट ६ की घारा 21 के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र—छात्राओं की संख्या के आधार पर निम्न मानदण्डानुसार अधिशंष/अतिरिक्त आवश्यकता वाले/विद्यालयों/पदों की सूची तैयार की जानी है।

	60) तक		🚞 दो शिक्षक					
	61 से	90 के म	य	तीन शिक्षक					
	91 से 1	120 के म	व्य	चार शिक्षक					
	121 से	150 के म	ाव्य	पांच शिक्षक					
	151 से	200 के म	ाव्य	पांच शिक्षक + एक प्रधानाब्यापक					
	201 से 240 के मध्य 241 से 280 के मध्य			छः शिक्षक + एक प्रवानाव्यापक					
				सात शिक्षक + एक प्रचानाच्यापक					
	281 से	320 के म	व्य	आठ शिक्षक + एक प्रधानाध्यापक					
	321 से	360 के म	ाव्य	नौ शिक्षक + एक प्रचानाध्यापक					
	361 से 400 के मध्य 401 से 440 के मध्य			दस शिक्षक + एक प्रधानाध्यापक ग्यारह शिक्षक + एक प्रधानाध्यापक					
	441 से	480 के म	व्य	बारह शिक्षक + एक प्रधानाव्यापक					
	481 से 520 के मव्य 521 से 560 के मव्य 561 से 600 के मव्य 601 से 640 के मव्य			तेरह शिक्षक + एक प्रधानाव्यापक चौदह शिक्षक + एक प्रधानाव्यापक पन्द्रह शिक्षक + एक प्रधानाव्यापक सौलह शिक्षक + एक प्रधानाव्यापक					
उच्च प्रा	धमिक कसाउ	मों के लिए	अध्यापको की	व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :- (कक्षा-08 से 08)					
1	1 Sec. 25 Sec.		No. 10. LEGISLAND AND THE PARTY OF THE PARTY	शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येव शिक्षक हो —					
	(i)	विज्ञान	और गणित	1					
	(ii)	सामाजि	क अव्ययन	Ť					
	(iii)								
2	प्रत्येक	३५ बालव	ने के लिए	कम से कम एक शिक्षक					
3	जहां 10	10 से ऊ	ार प्रवेश वि	देया गया है वहां-					
	(i)	एक पूर	ांकालिक प्र	ा धाना व्यापक					
	(ii)	अंशका	लेक शिक्षण	ग के लिए					
		(i)	कला शि	क्षा					
	1	101523792	उद्यास र	और शारीरिक शिक्षा					
	1	(ii)	4411464	आर शासारक हिला					

स्थादिया वेटर्स न्त्रे लाम्बन्धन में एक जिससीय नार्यशाला भिक्ता संखल नामा भीते के बाद शीज ही अमिनेय हुने मिसनी की काँउपिरी कामा भीते के बाद शीज ही अमिनेय हुने मिसनी की काँउपिरी का अनेन्द्रर जारी किया जीका। राज्य सरकार भिक्रा हिरा में ° का तर देन थियाधमभ, हिस्पी में हम्मत के समाय वह सामायिक प्रथाण किसानी अली मियालम् में रिक्त लेकिल प्रधान के पदी पर लामो जित निमा अविजा। पूर्व में उठ प्राव्हित में नामोन्नने १२० होते गर भारीरिकाभिकाका पद एकित किया आतामा अन 105 या अधिका त्या अधिक । प्रतिन अधिक उत्कार विद्याल्य में श्रीवित् रितिभन्ना एन अभिरेक्त पद रिमा आक्रेगा। भामोनन । उपयो अधिक होने पर प्राचीमन निह्यालय में जिन्ना श्रीका रितिस्त अधिक होने पर प्राचीमन निह्यालय में पर निक्रमाध्यापन पर रितीयभ्रोकी अञ्चलपन ना होगा। जी प्रधानाह्यापन

मर्तमान् में जित्न निषम ने नाम्रित्व उस निष्यालम के प्रधानाह्यापन

पर अली जिसम भा रहेगा। प्रक्रेम अरहमापना की भासायपीण पीरेस पर Entry होनी न्मिहर्मे। जो आफलाईन हे उनका ज्यून माह ले केतन विक्रिक्टीरेट नहीं किया आनेगा निरोध प्रतिस्थिति में निरोधन महोदम्ये स्वीकृति मिलने पर ही उगहीर्व किया आनेगा। स्तरः औ अहमापन

अन्त तन उनापत साइत है भी अपना रूपर क्षारण सिर्मिंड में हिराना श्रेका अधिकारी के तमे नित्र परनाय ति। शि:अधिकारी प्राठनो भिजवारि । क्षित लाभ ही वरामा जामा कि कंतिया कार्मिकी की कार्मिम् किरो I'm mission PEED LUGINA of Elmit CBED LOGING ESTI) एके अहमापन जिन में का में आहे भी मिरी जिले व विद्यालय में

महित्राला अपूर्ट मार्में थे, स्मीएला स्ट्रिस्ट के been साहमभिन्न साम्येत्वा शित्र क्रिट्न तर या वर्ष स्मीएला स्ट्रिस्ट क्रिस्ट विद्यालम से उनियान मार्च अध्यापका की भी दी दिल (वात: अनिया) अक्रिया। इसिटी कार्मिक कार्मि

इसकार्मशाला में निष्णु भगवान कि छित्र मुनील अमार्प्य अति कि कि कि का निमित्र किया निम्म निम्म कियान है ने भाग विमा।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा / मा. / संस्था / बी-2 / ४५००२ / प्रधानाचार्य / रिव्यूडीपीसी / १५-१६ से १८-१९

दिनांक 05.04.2019

-: काउंसलिंग दिशा-निर्देश:-

प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर दिनांक 07.04.2019 को आयोज्य काउंसलिंग से पदस्थापन हेतु दिशा–निर्देश:–

- 01. वर्तमान में प्रधानाचार्य के लगभग 1800 पद रिक्त है, जो काउंसलिंग में आमंत्रित आशार्थियों की संख्या की तुलना में अत्यधिक हैं। छात्र हित एवं विद्यालयी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए जिन जिलों में प्रधानाचार्य के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है उन पदों को प्राथमिकता से भरा जाना है। अतः काउंसलिंग दिनांक 07.04.2019 में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों वाले जिलों की ही रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रकार करौली, कोटा, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, अलवर, टोंक, अजमेर, झुंझूनूं, दौसा एटं जयपुर जिलों में कुल स्वीकृत पदों में से 90 प्रतिशत से अधिक पद भरे होने के कारण इन जिलों की रिक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
- 02. उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 के अनुसार 10 प्रतिशत से न्यून रिक्ति वाले 13 जिलों की रिक्तियां प्रदर्शित नहीं किये जाने पर भी काउंसिलंग में आमंत्रित आशार्थियों की तुलना में तिगुनी से भी अधिक रिक्तियां शेष 20 जिलों के विद्यालयों में उपलब्ध रहती हैं। अतः 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों वाले 20 जिलों में उपलब्ध स्पष्ट रिक्त पदों को प्रदर्शित कः काउंसिलंग की कार्यवाही की जाएगी।
- 03. कार्मिकों की वरीयता का निर्धारण शासन के निर्देश दिनांक 12.02.2016 के अनुसार ही किया जाएगा। उक्त निर्देश पत्र के बिंदु संख्या 3(i) से 3(v) तक उल्लेखित विशेष योग्यजन, विधवा / पिरत्यक्ता महिलाएं, असाध्य रोगी, एकल एवं अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिये संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उपर्युक्त बिंदु संख्या—1 में शिथिलन दिया जाकर इन 20 जिलों की रिक्तियों के अतिरिक्त उनके वर्तमान पदस्थापित जिले की समस्त स्पष्ट रिक्तियां भी पृथक से प्रदर्शित की जावेगी। शेष पुरूष अभ्यर्थियों को बिंदु संख्या—2 में उल्लेखित अनुसार 20 जिलों की रिक्तियां ही प्रदर्शित की जाएंगी।

04. बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित रिक्तियों का प्रकाशन RAJEDUCON.COM पर उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 03 का स्पष्ट उल्लेख करते हुए किया जाएगा।

> (नथमल डिडेल) _{आई.ए.एस} निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला वर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/८-८

विभाव ८ ८०३ ।

1— तकनीकी निदेशक एन.आई.सी.केन्द्र, जयपुर। 4— मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला

2-संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संगाग 5- जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिला 3-उपनिवशक, शाला दर्पण प्रकोध्द, जयपुर 6-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकार्य, समस्त ब्लॉक

विषय:- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयां म शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन(स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के संवंध में।

प्रसंगः— श्रीमान शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग (प्रा.शि.) के पत्रांकः— पं.5(8)प्राशि / 2016 जयपुर दिनांकः— 28.05.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षकों एवं शेक्षणिक कार्मिकों के पदा क पुनर्निर्धारण के क्रम में पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/अधिशेष कार्मिकों के काउंसिलंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापन के संबंध में पूर्व में जारी दिशा—निर्देश दिनांक 21.04. 2016 एवं 24.06.2016 तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेशों के अतिक्रमण में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासन द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा—निर्देशों की प्रति इस पत्र कं साथ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा—निर्देशों की पालना में विद्यालयवार स्टाफिंग पेटर्न जंनरेट कर पदों का पुनर्निर्धारण एवं अधिशेष कार्मिकों का आवश्यकता वाले विद्यालयों में समानीकरण/पदस्थापन किया जाना है।

प्रासंगिक विशा—निर्देशों की पालना में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम जारी कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की जावे:—

दिनांक	अपेक्षित कार्यवाही
30.05.2019	एन.आई.सी. व शालादपर्ण प्रकोष्ठ जयपुर व बीकानेर द्वारा पोर्टल पर स्टॉफिंग पेटर्न क नियमों के अनुसार पोर्टल पर कार्यवाही करवाया जाना।
31.05.2019	एन.आई.सी. द्वारा पोर्टल पर तैयार नव स्टाफिंग पैटर्न का शालादर्पण टीम के साथ परीक्षण।
01.06.2019	स्टाफिंग पैटर्न सत्यापन दल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन।
02.06.2019	एन.आई.सी. द्वारा स्टाफिंग पैटर्न-2019 को विद्यालयवार ऑनलाईन किया जाना।
3 से 4 जून 2019	ब्लॉक कार्यालय द्वारा पोर्टल पर जनरेट स्टाफिंग पैटर्न सत्यापन कर लॉक करना एवं इसकी विद्यालयवार सूची चार प्रतियों में डाउनलोड कर स्टाफिंग पैटर्न हेतु गटित सम्भाग स्तरीय समिति से अनुमोदन कराना।
5 से 7 जून 2019	जिला कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अधिशेष कार्मिकों की मैपिंग व सूचियों का प्रकाशन
8 से 9 जून 2019	अधिशेष कार्मिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग व मैपिंग
10 से 11जून 2019	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन

समस्त ब्लॉक अपने अधीनस्थ विद्यालयों की डाउनलोडेड सूवियां संभाग स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत 03 प्रतियां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त 04 प्रतियों में से एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखते हुए 03 प्रतियां संबंधित मुख्य जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे तथा संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 01 प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए 02 प्रति संबंधित संयुक्त निदेशक, रकूल शिक्षा को प्रेषित की जावंगी। समरत संयुक्त निदेशक अपने संभाग सं संबंधित समस्त विद्यालयों के स्टाफिंग पैटर्न की विद्यालयवार प्रतियां मय विद्यालयवार, व्लॉकवार, जिलावार एवं संभागवार समेकित संख्यात्मक विवरण के सूचना वाहक स्तर पर दिनांक 07 जून, 2019 तक आवश्यक रूप से निदेशालय के शाला दर्पण अनुभाग में प्रेषित करेंगे।

काउंसलिंग की निर्धारित प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा—निर्देश एवं काउंसलिंग कार्य की मॉनीटरिंग शिक्षक संस्थापन अनुभाग स्तर से संपादित की जावेगी।

स्टाफिंग पैटर्न की ऑनलॉईन प्रक्रिया के सत्यापन हेतु सत्यापन दल निम्नानुसार गठित किया जाता है —

1.	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर		2107707
2.	शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा के प्रतिनिधि	_	अध्यक्ष
	नियं भाषा अर्थिन शिक्षा के प्रतिनिध	_	सदस्य
3.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	_	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,झुन्झुनू	_	रादरप
C.	गान ने कि	-	सदस्य
Э.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगून्दा उदयपुर		सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़		
7	STERRITOR STERRI	_	सदस्य
۲.	अनुभाग अधिकारी / प्रतिनिधि शिक्षक संस्थापन अनुभाग निदेशालय	प्रार शिक्षा	सदस्य
8.	अनुभाग अधिकारी बजट अनुभाग / प्र <mark>तिनिधि निदेशालय प्रार</mark> िशक्षा		
a	संस्थापन प्राची गांपल किया है।		सदस्य
٥.	संस्थापन प्रभारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर		सदस्य
10.	संस्थापन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रार शिक्षा, झुन्झुनू		
	3 - Mr. Leant & Mr. Leant & M. M.	_	सदस्य

समस्त संबंधित अधिकारी निर्धारित <mark>कार्यक्रमानुसार अपेक्षित कार्यवाही आवश्यक रूप से</mark> संम्पादित कर स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यवाही पूर्ण करेंगे। संलग्न:— उपरोक्तानुसार (पेज—17)

ि निदेशक

श्रीक्षिक स्था प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/L-1 दिनांक :- २५ ५-1१ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत:-

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2— शासन उप सचिव, प्रा.शि. एवं पंचायत राज (प्रा.शि.), शासन सचिवालय, जयपुर।

3- आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।

4- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर ।

5- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,झुन्झुनू ।

6— मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगून्दा उदयपुर ।

7- अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) ।

8- अनुभाग अधिकारी शिक्षक संस्थापन / बजट अनुभाग , कार्यालय हाजा।

9- संस्थापन प्रभारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।

10-संस्थापन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रार शिक्षा, झुन्झुनू।

11-रक्षित पत्रावली।

(८)८५ निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / शिक्षक संस्थापन / एफ-6 / सैट-अप / वो.2 / 2019

दिनांकः 31614

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त मण्डल

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारं शिक्षा/मा. शिक्षा समस्त

विषय:- प्राशि अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन बाबत् काउंसलिंग के संबंध में।

प्रसंगः— शासन का पत्र क्रमांकः पं.5(8)प्राशि / 2016 जयपुर दिनांकः 28.05.19 तथा इस कार्यालय का पत्रांकः शिविरा / प्रारं / शाला दर्शन / सी / स्टा. पैटर्न / 2018 / एल—1 दिनांकः 29.05.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षको/शैक्षणिक कार्मिको के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश एवं कलैण्डर जारी किया गया है।

प्रासंगिक पत्रों के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:—

- स्टाफिंग पैर्टन के पुनर्निर्धारण एवं समायोजन के संबंध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.19 में दिए गये कलैण्डर के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 2. विगत वर्ष में हुए स्थानान्तरणों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र/आदेश क्रमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश क्रमांक:— शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ—6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28. 02.2019 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "ऐसे समस्त स्थानान्तरण आदेश जिनकी अभी तक पालना नहीं हो पाई को निरस्त कर पूर्व पदस्थापित मूल स्थान/पंचायत समिति/जिले में रिक्त स्थान पर कार्यमुक्त करें।" उक्त आदेश की पालना में निम्नानुसार दिनांक 04.06.2019 तक अनिवार्यतः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें—
 - (अ) किसी अध्यापक का प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और वह माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश से वहीं पदस्थापित है और इस कारण इसके पद पर अन्य विद्यालय/जिले से स्थानान्तरित होकर आए अध्यापक के संबंध में स्थानान्तरण आदेश की पालना न हो सकी हो तो राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(ब) किस अध्यापक का स्वैच्छिक / प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और स्थानान्तरित विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में वर्णित शर्त "स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।" की पालना नहीं किए जाने अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं किए जाने से कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं होने हुई है अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं हुई है और कार्मिक को स्थानान्तरित विद्यालय / अन्य विद्यालय / कार्यालय में ऑफलाईन कार्यग्रहण करवाया गया है तो स्थानान्तरित विद्यालय जादेश की पालना न हो सकने के कारण राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात स्थानान्तरित आदेशों से स्थानान्तरित कोई भी कार्मिक ऑफ लाईन कार्यग्रहण नहीं किया हुआ होना चाहिए।

नोट:-

- (अ) राज्य सरकार के पत्र/आदेश क्रमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश क्रमांक:— शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ—6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28.02.2019 की पालना में यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही नियमानुसार समायोजन हेतु पद रिक्त होने पर कार्यमुक्ति अपडेट करवाते हुए स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे। तथा स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में समायोजन हेतु पद रिक्त नहीं होने पर शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/बीकानेर से कार्यमुक्ति निरस्त करवाकर स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में मैपिंग सहित अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- (ब) दिनांक 05.06.2019 को उक्त आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 3. 6 डी के तहत सैटअप परिवर्तित / राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापक जिसे प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्रारम्भिक शिक्षा शहरी क्षेत्र के विद्यालय में समायोजित किया गया हो एवं आदिनांक तक चुनाव कार्य / अन्य कारण से कार्यमुक्त नहीं किया गया हो उसे दिनांक 04.06.2019 तक तत्काल प्रभाव से शालादर्पण के माध्यम से समायोजित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करें। प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कार्मिकों से संबंधित सभी परिवेदनाएं संबंधित CDEO/DEO द्वारा निस्तारित की जा चुकी है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित सभी कार्मिकों को अनिवार्यतः संबंधित माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा यदि कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो दिनांक 05.06.2019 को ऐसे कार्यमुक्त नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि कार्मिक ने प्रारम्भिक से माध्यमिक शिक्षा में हुए पदस्थापन आदेश पर स्टे ले लिया हो तो कार्मिक के समायोजन से पूर्व पदस्थापित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में ही मैपिंग के साथ अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- 4. शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक का ही वेतन आहरित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी ऑफ लाईन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरित नहीं करवाया जाना सुनिश्चत करावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वेतन व्यवस्था के लिए जारी आदेश निदेशक द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी होगें।
- 5. निलम्बित कार्मिक का जिस कार्यालय में मुख्यालय किया गया है कार्मिक की शाला दर्पण पोर्टल पर उसी कार्यालय में ही प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6. यदि कोई विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है/कमोन्नत नहीं हुआ है तो शाला दर्पण प्रकोष्ठ बीकानेर/जयपुर से समन्वय करके शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित/कमोन्नत करवावें तथा विद्यालय का स्टाफिंग पैर्टन जनरेट/ रिजनरेट करवावें साथ ही इस कारण कोई कार्मिक पोर्टल पर ऑन—लाईन कार्यग्रहण नहीं कर सका हो तो कार्मिक की ऑन—लाईन कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 7. सीधी भर्ती से नवचयनित कार्मिक का जिस मैपिंग किए हुए कार्मिक के स्थान पर पदस्थापन हुआ है उस मैपिंग किए हुए कार्मिक को शाला दर्पण प्रकोष्ट जयपुर से अधिशेष करवाकर मैपिंग करवाया जाकर नवचयनित कार्मिक को शालादर्पण पोर्टल कर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8. पदों के विद्यालय वार आवंटन (स्टाफिंग पैर्टन के पुनः निर्धारण) एवं समानीकरण / पदस्थापन बाबत शाला दर्पण पोर्टल द्वारा काउंसलिंग के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 11 से बिन्दु संख्या 20 तक विस्तृत दिशा निर्दश अंकित है, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 9. शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 13 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में संबंधित पद एवं विषय में समायोजित कार्मिकों में से जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर किनष्ठतम कार्मिक से जिले में अधिक टहराव (विरष्ठ) वाले प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तित एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की वर्तमान जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची शाला दर्पण पोर्टल द्वारा तैयार कर दिनांक 05.06.2019 तक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकः 07.06.2019 तक काउंसलिंग द्वारा माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 10. शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेख के अनुसार दिनांकः 05.06.2019 तक शत प्रतिशत अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे। दिनांकः 06.06.

Qu

2019 के उपरान्त किसी भी कार्मिक का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेखों से भिन्न पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी!

- 11. यह भी सुनिश्चित करावें कि शून्य नामांकन वाले किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक का पदस्थापन/समायोजन न हो।
- 12. यह भी सुनिश्चित करावें कि समस्त कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि अवश्य हो, कोई भी कार्मिक ऑफलाईन न रहे।
- 13. यह भी सुनिश्चित करावें कि काउंसलिग प्रक्रिया के पश्चात विद्यालयों में अध्यापकों के दोहरे पदस्थापन की स्थिति न रहे।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:--

- विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख <mark>शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं</mark> भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3. शासन उपसचिव, प्रारं<mark>भिक शिक्षा एवं पंचायती राज</mark> (प्राशि) शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 5. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, जयपुर को दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
- 7. सहायक निदेशक, शाला दर्शन प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- 8. पीईईओ, समस्त।
- प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10. संस्था प्रधान, समस्त विद्यालय।
- 11. संबंधित कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की शत प्रतिशतपालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविश / प्रारं / शालादर्शन / सी / स्टा.पैटर्न / 2018 / 221

दिनांक:- 03 106 19

1—संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग 4— जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिला 2—उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर 5—मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक 3— मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला

विषय :-प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विद्यालयवार आवंटन(स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी

/स्टा.पैटर्न/2018/एल-1 दिनांक:-29.05.2019
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा शासन के दिशा-निर्देश दिनांक 28.05.2019 के कम में स्टाफिंग पैटर्न के पुर्निर्धारण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया था। उक्त संबंध में शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों में पूर्व के स्टाफिंग पैटर्न हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21.04.2016 के अतिकमण में किये गये कुछ अपरिहार्य परिवर्तनों के अनुसार एन.आई.सी द्वारा उक्त संशोधनो हेतु मॉड्यूल विकसित करने हेतु कुछ समयावधि बढ़ाने की अपेक्षा के मद्देनजर स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण हेतु शीघ्र संशोधित कार्यक्रम जारी किया जायेगा जिसकी सूचना आपको पृथक से पेषित कर दी जायेगी।

निर्देशक भिक्र शिक्षा एवं पंचायती रा

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

20

दिनांक :- 03.06.19

- 1— निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 2— शासन उप सचिव, प्रा.शि. एवं पंचायत राज (प्रा.शि.), शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3- आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 4- तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.केन्द्र, जयपुर।
- 5– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर ।
- 6– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,झुन्झुनू ।
- 7- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगून्दा उदयपुर
- 8- अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) ।
- 9- अनुभाग अधिकारी शिक्षक संस्थापन / बजट अनुभाग , कार्यालय हाजा।
- 10- संस्थापन प्रभारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर
- 11-संस्थापन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रार शिक्षा, झुन्झुनू।
- 12-रक्षित पत्रावली।

(<u>)</u> निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / सी / स्टा.पैटर्न / 2018 /327

दिनांक:- 10.6.2019

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग ।

> शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रा/राउप्रा विद्यालयों में :-प्रारम्भिक शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के क्रम में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों का मण्डलवार एवं जिलेवार पुनर्निर्धारण बाबत।

> प्रसंग :- शासन का पत्रांक:- प.5(8)प्राशि / 2016 दिनांक: 28.05.2019 का बिन्दु संख्या-1

उपर्युक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रा/राउप्रा विद्यालयों में विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के कम में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके बिन्दु संख्या-1 के अनुसार हैडटीचर/संस्थाप्रधान, उद्य प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पदों का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में परिशिष्ट 2 के अनुसार संमागवार वितरण एवं परिशिष्ट 3 के अनुसार जिलेवार वितरण पुनर्निर्धारित करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में निर्देशानुसार तैयार परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 संलग्न प्रेषित कर लेख है कि शासन के आदेश दिनांक 28.05.2019 के अनुसार एवं निदेशालय द्वारा जारी संशोधित टाईम फेम के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण सम्बन्धी आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3

प्रारंभिकशिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1— आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर।
- 3- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त।
- 5– मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समस्त ।
- 6— तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न जनरेट किया जाना सुनिश्चित करे।
- 7- सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन/बजट/योजना/शैक्षिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 8- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारंभिकशिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर



परिशिष्ट-2

हैंडटीचर/संस्थाप्रधान- उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

Division	Maths	Science	English	Hindi	SST	General	Third Language	Total
AJMER	12	176	209	448 .	1258	582	342	3027
BHARATPUR	21	24	125	386	494	208	303	1561
BIKANER	27	264	212	135	368	246	234	1486
CHURU	51	84	164	279	668	220	212	1678
JAIPÜR	49	118	228	430	1098	360	. 308	2591
JODHPUR .	. 3	74	188	332	1153	229	384	2363
КОТА	13	94	92	341	485	407	320	1752
PALI -	1	63	133	235	542	341	160	1475
UDAIPUR	- 6	27	55	572	1453	716	358	3187
Grand Total	.183	924	7.406	3158	7519	3309	2621	19120

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राजा.(प्रा.शि.) विभाग,

Scanned by CamScanner

हैं डटीचर / संस्थाप्रधान- उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत बरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

III WAR			×	(जिलेवार)			SAPARAM GSP	271 1 (94)	
Division	District	Maths	Science	English	Hindi		1120100000	Third	16.85
UMER	AJMER	-	100 CO 10	Cirginali	ningi	SST	General	Language	Tota
AIPUR	ALWAR	5	58	46	101	288	129	79	706
DAIPUR	BANSWARA	20	40	83	165	481	112	105	100
ATO	BARAN	1	0	12	92	182	134	42	463
COHPUR	EARMER	4	18	13	53	167	64	64	383
SHARATPUR	BHARATPUR	1	33	107	202	565	87	252	124
AJMER	BHILWASA	15	13	57	141	158	28	146	558
BIKANER		3	21	55	123	421	127	141	891
KOTA	BIKANER	5	114	73	47	83	118	67	507
UDAIPUR >	BUNCI	3	21	24	74	79	82	77	360
CHURU	CHITTAURGARH	2	8	3	99	282	123	76	598
JAJPUR	ICHURIU	7	9	54	80	206	49	98	503
	DAUSA	2	9	39	65	167	105	49	436
SHARATRUR	DHAULPUR	4	2	17	104	108	38	27	300
UDAIPUR	DUNGLEPUR	1	3	9	65	214	83	57	432
SIKANER	GANGLNAGAR	14	61	112	57	132	66	121	563
BICANER	HANLIMANGARH	8	89	27	31	153	62	46	416
丛 伊JR	LAPUR	27	69	106	200	450	143	154	1149
JOOHPUR .	THE THER	1	5	9	34	185	14	16	264
PAU	DALOR.	0	21	53	74	207	81	89	525
KOTA	DHALAWAR	1	34	23	124	151	163	113	614
CHURU	DH SNJHJNUN	21	22	55	84	194	102	27	505
אולאנטנע	SUSHCOL	1	36	72	96	403	128	116	852
BHARATPUR	KYSYIJI	2	4	34	. 90	134	72	56	392
KOTA	KOTA	5	21	27	90	88	98	66	395
ajiner	NEGALIR	3	78	70	131	415	210	41	948
711	PAU	1	39	43	129	235	183	54	684
プロログス	PRATAPGARH	1	2	9	60	126	73	48	319
アスカランス	EXISTING NO.	1	8	9	89	261	122	61	551
STATTED S	S.MADHOPUR	0	5 1	17	51	94	70	74	311
CHURU	SKAR	23	53	55	115	268	69	87	670
PACI	JSROHI	0	3	37	32	100	77	17	266
AJIMER	TONK	1	19	38	93	134	116	81	482
الاراتارالا	UCAIPUR.	0	6	8	167	338	181	74	824
	rand Total	183	924 1	1406	3158	7519	3309	2621	19120

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.) विभाग.

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर

क्रमांक :-जिशिअ-मु0/प्राशि/उदय/संस्था-1/स्टा.पेर्टन/2019/6195

दिनांक :23-06-2019

स्टाफिंग पैटर्न अत्यावश्यक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंस-बडगांव/भीण्डर/फलासिया/गिर्वा/गोगुन्दा/ झाडोल/झल्लारा/खेरवाडा/कोटडा/कुराबड/ लसाडिया/भावली/ऋषनदेव/सलुम्बर/सराडा/ सेमारी/सायरा/शहर संस्थापन



विषय:-प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि में शिक्कों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालवार आवंटन(स्टाफिंग पैटर्न के पुर्ननिर्धारण) एवं समानीकरण के संबंध में

प्रसंग:-राजस्थान सरकार का पत्रांक--प05(8)प्राशि/2016 जयपुर दिनांक--28.05.2019 एवं निदेशालय के पत्रांक दिनांक--29.05.2016 व 03.06.2019 एवं 12.06.2019 के संबंध में आपका पत्र कमांक 483 दिनांक 19.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय बीकानेर के पत्रांक-03.06.2019 के द्वारा

प्रदत्त निदेशों के संबंध में यह प्रदान किये जाते है कि:-

1—आपको विदित होना चाहिये कि दिनांक—24.06.2019 के पश्चात शाला दर्पण पोर्टल स्टाफिंग पैटर्न जनरेट हो सकता है । उक्त प्रकिया उपरान्त अधिशेष कार्मिकों की सूबी शाला दर्पण पोर्टल के नाव्यन से प्राप्त होगी । उक्त सूबी का उदयपुर जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरियता सूचियों का स्वतः ही निर्माण होगा । अतः आप आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ कार्मिकों की उदयपुर जिले में कार्यग्रहण तिथि,प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि,विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि,दिमाग में कार्यग्रहण तिथि,इम्प्लोई आईडी एवं मोबाईल नंबर आदि दिनांक में संशोधन पीईईओं की लोगिन आईडी से गृह जिले के मोड्रयल में जाकर आवश्यक कप से संशोधन/सही/अपखेट करावें । उक्त विसंगित के चलते यदि कार्मिक अधिशेष होता है या वरियता सूची में मिन्नता आती है तो उसके लिये आप स्वयं/पीईईओ/संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी होगी ।

2-पूर्व परामर्श कैम्प को ध्यान में रखते हुये,आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट समस्त शिक्षकों एवं शैक्षणिक कार्मिको की विगत(सही Detail Where about) संस्थापन रेकार्ड का पूर्ण मिलान सेवापुरितका एवं व्यक्तिगत पंजिका में उपलब्ध बीए की अंकतालिका के आधार पर विषय का मिलान आवश्यक रूप से कर लेवें । विधवा/परित्यक्ता/असाध्य रोगी के प्रमाण पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रख लेवें ।

3-यह है कि आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ ऑफलाईन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जावें । ऑफलाईन कार्यरत समस्त शिक्षकों/कार्मिकों की सूचना कारण सहित तत्काल कार्यालय को मिजवावें । सूचना अप्राप्त होने की रिथति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।



4—आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ दोहरा पदस्थापन होने की स्थित में सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल कार्यालय को भिजवावें । सूचना अप्राप्त होने की स्थिति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

5-कोई भी ऑफलाईन कार्यरत कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नही है तो उसे दिनांक-25-06-2019 को कार्यालय में समस्त (CWSN सहित) आवश्यक दस्तावेजों के साथ मिजवावें,जिससे शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित की सूची में शामिल किया जा सके । कार्मिक के नहीं आने की स्थिति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

6-आपके ब्लॉक मे कार्यरत समस्त पाते वेतन प्रअ(द्वितीय वेतन श्रंखला) की सूचना कार्मिक का नाम,पद,पदस्थापन स्थान,जन्मतिथि,प्रथम नियुक्ति तिथि एवं वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि का प्रारूप

तैयार कर दिनांक-25.06.2019 तक कार्यालय में भिजवावें ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्राशि,उदयपुर दिनांक :23-06-2019

क्रमांक : जिशिअ-मु0/प्राशि/उदय/संस्था-ा/ स्टा.पेर्टन 2019/6195 प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1. श्रीमान निदेशक महोदय,प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
- 2. श्रीमान उपायुक्त महोदय,राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर ।
- 3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
- कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्राशि,उदयपुर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला वर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/८-८

विभाव ८५ - १५

1— तकनीकी निदेशक एन.आई.सी.केन्द्र, जयपुर। 4— मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला

2—संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संगाग 5— जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिला 3-उपनिवशक, शाला उपण प्रकोण्ड, जयपुर 6-पुरव्य व्यांक शिक्षा अधिकार्य, समरन व्यांक

विषय:- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयां म शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंदन(स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के संवंध में।

प्रसंगः- श्रीमान शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग (प्रा.शि.) के पत्रांकः- पं.5(8)प्राशि / 2016 जयपुर दिनांकः- 28.05.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षकों एवं शेक्षणिक कार्मिकों के पदा के पुनर्निर्धारण के क्रम में पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/अधिशेष कार्मिकों के काउंसिलंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापन के संबंध में पूर्व में जारी दिशा—निर्देश दिनांक 21.04. 2016 एवं 24.06.2016 तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेशों के अतिक्रमण में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासन द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा—निर्देशों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा—निर्देशों की पालना में विद्यालयवार स्टाफिंग पेटर्न जंनरेट कर पदों का पुनर्निर्धारण एवं अधिशेष कार्मिकों का आवश्यकता वाले विद्यालयों में समानीकरण/पदस्थापन किया जाना है।

प्रासंगिक दिशा—निर्देशों की पालना में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम जारी कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की जावे:—

दिनांक	अपेक्षित कार्यवाही
30.05.2019	एन.आई.सी. व शालादपर्ण प्रकोष्ठ जयपुर व बीकानेर द्वारा पोर्टल पर स्टॉफिंग पेटर्न क नियमों के अनुसार पोर्टल पर कार्यवाही करवाया जाना।
31.05.2019	एन.आई.सी. द्वारा पोर्टल पर तैयार नव स्टाफिंग पैटर्न का शालादर्पण टीम के साथ परीक्षण।
01.06.2019	स्टाफिंग पैटर्न सत्यापन दल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन।
02.06.2019	एन.आई.सी. द्वारा स्टाफिंग पैटर्न-2019 को विद्यालयवार ऑनलाईन किया जाना।
3 से 4 जून 2019	ब्लॉक कार्यालय द्वारा पोर्टल पर जनरेट स्टाफिंग पैटर्न सत्यापन कर लॉक करना एवं इसकी विद्यालयवार सूची चार प्रतियों में डाउनलोड कर स्टाफिंग पैटर्न हेतु गटित सम्भाग स्तरीय समिति से अनुमोदन कराना।
5 से 7 जून 2019	जिला कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अधिशेष कार्मिकों की मैपिंग व सूचियों का प्रकाशन
8 से 9 जून 2019	अधिशेष कार्मिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग व मैपिंग
10 से 11जून 2019	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन

समस्त ब्लॉक अपने अधीनस्थ विद्यालयों की डाउनलोडेड सूवियां संभाग स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत 03 प्रतियां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त 04 प्रतियों में से एक प्रति अपने कार्यालय में

सुरक्षित रखते हुए 03 प्रतियां संबंधित मुख्य जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे तथा संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 01 प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए 02 प्रति संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित की जावंगी। समस्त संयुक्त निदेशक अपन संगाग सं संबंधित समस्त विद्यालयों के स्टाफिंग पैटर्न की विद्यालयवार प्रतियां मय विद्यालयवार, व्लॉकवार, जिलावार एवं संभागवार समेकित संख्यात्मक विवरण के सूचना वाहक स्तर पर दिनांक 07 जून, 2019 तक आवश्यक रूप से निदेशालय के शाला दर्पण अनुभाग में प्रेषित करेंगे।

काउंसलिंग की निर्धारित प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश एवं काउंसलिंग कार्य की मॉनीटरिंग शिक्षक संस्थापन अनुभाग स्तर से संपादित की जावेगी।

स्टाफिंग पैटर्न की ऑनलॉईन प्रक्रिया के सत्यापन हेतु सत्यापन दल निम्नानुसार गठित किया जाता है -

1.	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर	_	अध्यक्ष
2.	शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा के प्रतिनिधि		जव्यदा सदस्य
3.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	_	
4	जिला शिक्षा अधिकारी (गामा)	_	सदस्य
۳.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,झुन्झुनू		सदस्य
5.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगून्दा उदयपुर		सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्षाणगढ		
7.	अनुभाग अधिकारी / प्रतिनिधि शिक्षक संस्थापन अनुभाग निदेशालय		सदस्य
Q	अनुमाग अधिकारी रूप १००० ०००	प्रार.।शक्ष	-सदस्य
0.	अनुमाग अधिकारी बजट अनुभाग / प्र <mark>तिनिधि निदेशालय प्रारशिक्षा</mark>		सदस्य
9.	संस्थापन प्रभारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर		सदस्य
10,	संस्थापन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रार शिक्षा, झुन्झुन	т	
	जारात पुरुषात् अरित्राता, अनु	7 —	सदस्य

समस्त संबंधित अधिकारी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपेक्षित कार्यवाही आवश्यक रूप से संम्पादित कर स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यवाही पूर्ण करेंगे। संलग्न: उपरोक्तानुसार (पेज-17)

श्रीक्षक सम्प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / प्रारं / शाला दर्शन / सी / स्टा.पैटर्न / 2018 / L-1 दिनांक :- 29 5-19 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषाँ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2— शासन उप सचिव, प्रा.शि. एवं पंचायत राज (प्रा.शि.), शासन सचिवालय, जयपुर।

3— आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।

4- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर ।

5— जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,झुन्झुन् ।

6— मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगून्दा उदयपुर ।

7- अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) ।

8- अनुभाग अधिकारी शिक्षक संस्थापन / बजट अनुभाग , कार्यालय हाजा।

9- संस्थापन प्रभारी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।

10-संस्थापन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रार शिक्षा, झुन्झुनू।

11-रक्षित पत्रावली।

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

2 8 MAY 2010 जयपुर, दिनांकः 7 8 MAY 2019

क्रमांकः प. 5(8)प्राशि / 2016

आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 21.04.2016 एवं 24.06.2016 तथा अन्य के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

- राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, 1. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। वर्ष 2016-17 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन की प्रक्रिया में वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनाक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का साल विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार किया गया। उक्त कम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न **परिशिष्ट—1**) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ट अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में आनुपातिक रूप से संभागवार वितरण परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण परिशिष्ट-3 पुनर्निर्धारित किया जावें।
- पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016-17 में एवं 2. तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 02 वर्ष में की जायेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाईम नामांकन को आधार माना जावेगा। तद्नुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो, उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।

(नोट:-यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नांमांकन को आधार रखा जायेगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।)

- 3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा:
 - a. जिन उच्च प्राथिमक विद्यालयों / एकीकृत माध्यिमक / एकीकृत उच्च माध्यिमक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था—प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु विरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था—प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत विरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत विरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।
 - b. जिन एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
 - 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेत् स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
 - d. नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) के पदसामान्य विषय (50 प्रतिशत) एवं सामाजिक विज्ञान विषय (50 प्रतिशत) के निर्धारित/आवंटित किये जायेंगे।
 - e. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट—3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट—3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक {बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) पर आवंटित पदों को कम करते हुए} वरिष्ठ अध्यापक के पदों का निम्नलिखित विषयों के क्रम में आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जावेगा
 - 1. सामाजिक विज्ञान
 - 2. अंग्रेजी
 - 3. गणित
 - विज्ञान
 - 5. हिन्दी
 - तृतीय भाषा
 - 7. सामान्य विषय

नोट- उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिन्दी व संस्कृत का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंति विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय-उर्दु, पंजाबी, सिंधी व गुजराती का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है।

4. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधार (BASE) स्वीकृत पदों (अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1, अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-2 एवं शारीरिक शिक्षक (ग्रेड-III)) एवं स्वीकृत पदों का संबंध निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा -

Colon-

आधार (BASE) स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
01	02
अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1	ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी . पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल-1, प्रबोधक लेवल-1, अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1
अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2	विशेष शिक्षक लेवल-2, प्रबोधक लेवल-2, अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-2
शारीरिक शिक्षक (ग्रेड—III)	पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक, शा.शिक्षक (ग्रेड-III)

नोट-उपरोक्त के कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पद ही हमेशा निर्धारित एवं रिक्त होंगे। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाला कार्मिक कॉलम संख्या 01 के स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित/स्थानान्तरित होगा। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यग्रहण करते ही विद्यालय का कॉलम संख्या 01 के अनुसार स्वीकृत पद कार्मिक के मूल पद कॉलम संख्या 02 के अनुसार Auto Shift होगा तथा कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यमुक्त होते ही विद्यालय का स्वीकृत पद पुनः Auto Shift होकर कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पदानुसार ही रिक्त रहेगा।

5. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा —

郊 . ゼ.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरिः अध्यापक के पद का विषय	कक्षा ६ से ८ के 105 तक के नामांकन वाल विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड—III) के विषय (03 अध्यापक लेवल —2 आवंटित किये जाने हैं)	कक्षा ६ से ८ में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल—2 अध्यापक (ग्रेड—III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा ६ से ८ में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड—111 लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का कम।
77	2	3	4
1.	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, गणित/विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित/विज्ञान iv. अंग्रेजी
2.	गणित	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	 i. गणित/विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अग्रेजी
3.	अंग्रेजी	गणित / विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. अंग्रेजी ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है. अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित/विज्ञान

B12-

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक कक्षा ६ से ८ के 105 तव के कार्य हेतु नामांकन वाल विद्यालय स्वीकृत वरिः लेवल २ अध्यापक (ग्रेड- अध्यापक के के विषय (03 अध्यापक पद का विषय —2 आवंटित किये जाने		कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल—2 अध्यापक (ग्रेड—III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड—111 लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का कम।
1	2	3	4
4.	विज्ञान	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	 i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है. अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
5.	हिन्दी	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी / तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
6.	तृतीय भाषा	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी ii. तृतीय भाषा iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
7.	सामान्य विषय	हिन्दी / तृतीय भाषा / अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	 i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी/तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम चार में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित/विज्ञान

तृतीय श्रेणी लेवल-2 विषय हिन्दी/तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/गुजराती/सिंघी) के पद निर्घारण/आवंटन में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी -

- जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों में से विरष्ट अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय—हिन्दी निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—2 विषय हिन्दी का पद रेण्डमली निर्धारित किया जावेगा।
 - नोट:— यह विशेष ध्यान रखा जाना है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—2 विषय—हिन्दी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है, जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है।
- 2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों (जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों) में से विरष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय—संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष जिन विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में केवल एक तृतीय भाषा संचालित है उनविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—2 विषय तृतीय भाषा (विषय—संस्कृत/उर्दू /पंजाबी/ सिंधी /गुजराती) के पद का विषय विद्यालय में संचालित तृतीय भाषा स्वीकृत किया जायेगा।

B02-

- 3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 में एक से अधिक तृतीय भाषा संचालित) में से उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 (3) में कम किए हुए से शेष विरुठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय—संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 मेंएक से अधिक तृतीय भाषा संचालित है ऐसे विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—2 विषय— तृतीय भाषा (विषय—संस्कृत/उर्दू /पंजाबी/ सिंधी /गुजराती) के पद का विषय विद्यालय में जिस तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है उस तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा। यदि तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या समान है रेण्डमली तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा।
- 4. प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड—।।। लेवल—द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावें।
- 6. अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल 1 के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
 - व) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेंड-III) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।
 - b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हैंड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा।अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा। (नोट:- विद्यालय में अध्यापक / प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत कार्मिक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।)
 - c) जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सिहत), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), ट्रेनी टीचर कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।
 - d) जिन विद्यालयों में विशेष शिक्षक लेवल-1/प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक कार्यरत/नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड-III)लेवल 1 के पद के स्थान पर विशेष शिक्षक लेवल-1/प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक लेवल-1/प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त विशेष शिक्षक लेवल-1/प्रबोधक लेवल-1/फला शिक्षक को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

Bush

- 7. वर्ष 2016—17 में पदों के निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड—III) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड—III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगा:—
 - a) इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड-॥ के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।
 - b) उपरोक्त बिन्दु संख्या 7(a) के पश्चात्शेष आवश्यक शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड—III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।
 - c) 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III का पद आवंटित किया जावेगा।
 - d) यदि जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) की संख्या जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) से अधिक है तो 105 एवं 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के घटते कम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III का पद आवंटित किया जावेगा।
 - e) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-ाा पद आवंटित जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत हैं, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड-ाा के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।
 - f) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड—III) की अनुपलब्धता वाले बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III पद आवंटितउच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित/स्थानान्तरित किया जावेगा।
 - g) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-॥ पद आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन
 - a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ—साथ कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में अध्यापक ग्रेड—111 लेवल—2/ लेवल—1 पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
 - b) अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल-1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल-2 पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड-।।। (लेवल 1) के अध्यापकों से उनके पास

Gnel

अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

- c) अध्यापक ग्रेड—।।। लेवल—2 के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक तौर पर कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का ही शिक्षण कार्य करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक ग्रेड—।।। लेवल—2/ अध्यापक ग्रेड—।।।
- d) लेवल-1 का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड-।।। (लेवल 2) के अध्यापकों से आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
- e) शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।
- सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।
- g) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जायेगा परन्तु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित है तो वही उस विद्यालय में कला शिक्षा का शिक्षण करवाएगा।
- h) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव शिक्षण का कार्य किया जायेगा।"
- 9. मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक / विषयवार निर्धारण संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी :--

1.	संबंधित संयुक्त निदेशक –	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी -	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा –	सदस्य सचिव
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा –	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक कार्यालय के संस्थापन अनुभाग प्रभारी अधिकारी -	सदस्य
6.	जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -	सदस्य
7.	जिले के समस्त अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)–	सदस्य

- 10. बिन्दु संख्या 9 में वर्णित समिति की अभिशंषा के आधार पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त की जावेगी।
- 11. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विषयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात वर्तमान विद्यालय में स्वीकृत पदों पर विभागीय नियमानुसार समायोजन पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकत्तम ठहराव वाले अध्यापक/कार्मिक को मूल पद एवं विषयवार अधिशेष (Surplus) घोषित किया जाकर अन्य विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार निम्न कमानुसार काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:—

Cost

- ब) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक)के पद पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
- b) संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक), कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा। (नोट- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।)
- c) विशेष शिक्षक लेवल 1, विशेष शिक्षक लेवल 2 सामान्य विषय, प्रबोधक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 2 सामान्य विषय, अध्यापक ग्रेड—111 लेवल 1 एवं अध्यापक ग्रेड—111 लेवल 2 सामान्य विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को केवल अध्यापक ग्रेड—111 लेवल 1 के स्वीकृत रिक्त पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा। (नोट—लेवल 1 एवं लेवल 2 सामान्य विषय के कार्मिकों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड—111 की काउंसलिंग के लिए अलग—अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम कमशः विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड—111 रहेगा)
- d) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-111 लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
- e) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-111 लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके मूल विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा 1
- f) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) द्वारा संबंधित विषय के स्वीकृत पदों पर ही इन्हें पदस्थापित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2. अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 1 के पद के (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा |
- g) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में कमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) एवं 11 (f) द्वारा इन्हें पदस्थापित /समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के पद (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
- h) पूर्व में की गई नियुक्तियों में हिन्दी एवं संस्कृत विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड—111 लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में कमश उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e), 11 (f) एवं 11 (g) द्वारा इन्हें पदस्थापित / समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड—111 लेवल 2 के हिन्दी एवं संस्कृत विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को एक—दूसरे (हिन्दी को संस्कृत पर एवं संस्कृत को हिन्दी पर) के मूल विषयों के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा 1

नोटः -बिन्दु संख्या 11(e),11(f),11(g) एवं 11(h) की कियान्विति के लिए लेवल-2 विषय सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के कार्मिकों की मिश्रित वरीयता सूची बिन्दु संख्या 17(ii)के अनुसार तैयार कर काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।

Con

- i) पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) को शारीरिक शिक्षक ग्रेड—ाा के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावेगा। (नोट:-पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) की काउंसलिंग के लिए अलग—अलग वरियता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम कमशः पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा), प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) रहेगा।
- j) शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III को प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के पदों पर ही पदस्थापित किया जावेगा ।
- k) विशेष शिक्षकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 28.3.2018 के अनुसार कम से कम 04 CWSN विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में ही तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को पदस्थापित/समायोजित किया जावेगा।
- 1) अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) के संबंधित विषय के संबंधित मण्डल में ही प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की रिथित में रिक्त पदों से अधिक अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) को संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग को आगामी पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा। ऐसे अधिशेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम की अवधि शेष है, उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा एवं वे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो संस्था प्रधान के रूप में पातेय वैतन पर कार्यरत है, विभागीय प्रक्रियानुसार एवं नियमानुसार उनके अधिशेष होने पर उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा।
- m) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों / शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरियता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
 - क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(1) के कमानुसार)
 - ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में मानदण्डानुसार समायोजन नहीं होने पर उसी पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के कमानुसार)
 - ग) क और ख के अनुसार समायोजन नहीं होने पर जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर।(बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के कमानुसार)
 - घ) क, खं और ग के अनुसार समायोजन नहीं होने पर उसी संभाग के अन्य जिले में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद पर। (केवल बिन्दु संख्या 11 (a) के लिए लाग है)

नोट:

- 1. जिले की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिक काउन्सिलंग के समय जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के क्रमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी समय अपने ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयनबिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (रिक्त पद उपलब्ध नहीं रहता है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु कर संकंगा।
- संबंधित पद—लेवल एवं विषय के संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक एवं अध्यापक ग्रेंड—।।। की काउंसलिंग के लिए अलग—अलग वरीयता सूची तैयार की

Gna/

जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम कमशः संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-।।। रहेगा।

3. काउंसलिंग आयोजित कराने का कम बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के

कमानुसार रहेगा।

- 4. शारीरिक शिक्षक ग्रेड—ाा को काउंसलिंग प्रकिया में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक ग्रेड—ाा के रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित कमानुसार पदस्थापित किया जावेगा।
- ग) अन्य किसी तरह से अधिशेष कार्मिकों को अन्य विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा ही समायोजित करते हुए पदस्थापित किया जावेगा।
- 12. उक्तानुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जायेगी। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।
- 13. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित/रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तितएवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान पदस्थापित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन/समायोजन की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के आदेश कमांकः प 17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक/कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ हैं, पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी पंचायती राज विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।
- 14. इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्तानुसार रिक्त पदों पर किया जायेगा।
- 15. बिन्दु संख्या −12, 13 व 14 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन / समायोजन प्रारंभिक शिक्षा / पंचायतीराज विमाग के अधीन संचालित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- 16. काउन्सलिंग की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता है:--

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद — अध्यक्ष
 जिला कलक्टर द्वारा नामित (ADM) स्तर का अधिकारी — सदस्य
 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा — सदस्य
 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा — सदस्य सचिव

- 17. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन / समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करेगी:—
 - (i) अधिशेष शिक्षकों / कार्मिकों के समायोजन / पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 11 के अनुसार संवर्गवार / मूल पद—विषयवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।

Cost

- (ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों / शैक्षणिक कर्मियों की वरीयता एवं रिक्तियों को शाला दर्पण पोर्टल से जनरेट करके प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित कमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
 - a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीडित अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - b) विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - c) महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - d) शेष अभ्यार्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
- (iii) कार्मिक द्वारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (iv) जो अध्यापक लेवल-ा एवं लेवल-ा (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (v) पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।
- (vi) काउंसिलंग (परामर्श प्रकिया) शुरू करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर काउंसिलंग (परामर्श) प्रकिया शुरू की जावें, जिससे त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।
- (vii) किसी भी परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा।
- (viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन/समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात कोई भी विद्यालय (शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोड़कर) शिक्षक विहिन नहीं हो। विद्यालय के सभी अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों का विभागीय नियमानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के किनष्टतम कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन/पदस्थापन/नव पदस्थापन/स्थानांतरण से कार्यग्रहण नहीं करें।
- (ix) ऐसे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge) / कमोन्नित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन / पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन के पश्चात शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन / पदस्थापन प्रा. शि. / पंचायतराज विभाग के विद्यालयों में किया जावेगा।
- 18. काउन्सलिंग के पश्चात उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों / किमैयों के पदस्थापन / समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमादन करवाकर

Gn2_

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

- 19. द्वितीय श्रेणी अध्यापकों (विरिष्ट अध्यापकों) की काउंसिलंग संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित कमानुसार आयोजित करके काउंसिलंग के दिन ही पदस्थापन/समायोजन के आदेश संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 20. बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (j) के अनुसार काउंसलिंग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित/समायोजित अधिशेष शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के पदस्थापन/समायोजन के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन की कार्यवाही, निर्धारित समय सीमा में कलेण्डर जारी कर, कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय.

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(पारस चन्द जैन) शासन उप सचिव प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
- शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
- निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
- सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
- 7. उपायुक्त (शाला दर्पण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
- 9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
- 10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 12. समस्त पीईईओ।
- 13. समस्त संस्था प्रधान।
- 14. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट) शासन सहायक सचिव



परिक्षिास्ट

जयपर, विनायः 16.10.2015

ं राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

STATE SHOULD BE

निर्मायः - प १६(३)शिक्षा-2/2011

निदेशक शिक्षा राजस्थान

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :-वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर पदोल्लि के संबंध में।

महोदय:

SHOWING.

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिगांच 15.04.2015 के हारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक—उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं अन्य छह विषय यथा— गणित अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक निज्ञान एवं व्यतिय भाषा के पदों में आर्थाटत किये जाने के अध्याप में दिशा—निर्देश जारी किये गये थे इन विशा—निर्देशों से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 18.09.2015 हारा निर्देशक, गाध्यमिक शिक्षा एकरथान, वीकानर की अध्यक्षाता में समिति का भटन किया गया था।

इस सभ्वन्ध में समिति द्वारा दिनांक 29.09.2015 को प्रस्तुत की गई अगिशंषा के , आधार पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 को विलोमित करते. हुँथे प्रारम्भिक शिक्ष विभागों में स्तीकृत प्रधानध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों में स्वीकृत हैंड टीचर के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सम्मन्य एवं वरिष्ठ अध्यापक (मंगित अंग्रेजी, विज्ञान हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा) में आवंदित करने न निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- । प्राथितिक शिक्षा में प्रतानारयाभक-उच्चा प्राथमिक विद्यालन तथा माध्यमिक शिक्षा में हैंड टीचर के कुल पदों को पदोन्नति हेतु विद्याल अपलब पात्र आशाधियाँ के बनुपात में विभाजित ! मा जाते।
- 3. प्राकृतियन शिक्षा में प्रधानात्यापक उत्तन प्राथितिक कियालमें सकी पार्थिपिक शिक्षा में देश शीनार के नमें 2008- 00 से सर्वतार मुख मही के बालंडच्यु हैतु विकास प्राप्त क्रियेतारी की जाते :

a) वरिष्टा अध्यापक के पद पर पदीन्ति हेतु विभयवार उपलब्ध पात्र आशार्थिकों की रहिया में से माध्यमिक शिक्षा के उस विभय के पदीन्ति हेतु उपलब्ध रिक्र पदों की संख्या घटाई जावे।

WHEN THE PROPERTY AND

b) विन्दु संख्या a) से प्राप्त आशार्थियों के थोग के आधार पर विषयवार पात्रता में जपराब्ध आशार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसर प्राप्त किया जावे —

विषयवार पात्रता में जमलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत बिन्दु संख्या a) के अनुसार विषयवार पात्र आशार्थियों की संख्या बिन्दु संख्या a) के अनुसार समस्त सातों विषयों हेतु पात्र आशार्थियों की संख्याओं का योग :

X100

ः) उपलब्ध प्रधानाध्यापक—उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हैं उटीचर के पदों को उक्त प्रतिशत के आधार पर विषय्वार आवटित किया जावे।

a) बिन्दु संख्या c) से प्राप्त पदों को विषयवार स्वीकृत पदों में जोडकर उस विषय के कुल पदों की संख्या की गणना की जावे।

- e) बिन्दु 'संख्या d) के अनुसार कुल पदों की गणना के पश्चात नियमानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों की संख्या की गणना की जावें।
- यदि अन्तिम रिक्त पदों में से पदोन्नित अभ्याश के पद भएणात्मक प्राप्त होते है न उस विषय की पदोन्नित शून्य की जाते।

अतः उन्हें दिया-निर्देशों के अनुसार सन्न 2008-2009 से वरिष्ट अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ट अध्यापक गणितः, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों की रित्यू/नियमित हीपीसी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कवलेश आयुपरिया) उप शासूच सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है-

- निजी सिहीस मानशीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजरणाश ।
- 2 िनिजी सिरीम शारान सिनीय, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विद्याम ।
- समस्त उम्मिद्धानः क्षामिक/प्रारमिक विद्या।

व : संकार प्रकारिका ।

रेशकारक शारामी शसिव विकास सम्भागी शसिव विकास सम्भागी समित

THE THE ACCUSED AND ADDRESS OF THE ACCUSED.

परिशिष्ट-2

हैंडटीचर / संस्था प्रधान-उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण • (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

क्र. सं.	संभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैंउटीबर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल-आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
-1	_ 2 ·	3	4	+ 5	6	7	8	- 9	10	11
1	जयपुर	2866	85	176	177	551	1165	310	402	2866
2	- अजमेर	3223	17	129	162	643	1354	287	631	3223
3	. उदयपुर	3419	0	0	0	798	1797	0	824	3419
4	कोटा	1867	17	56	49	475	607	209	455	1868
5	जोधपुर -	2653	0	99	137	416	1479	292	230	2653
6	बीकानेर '	1645	65	139	95	247	785	73	241	1645
7	चुरू	1887	82	114	9 171	355	798	81	287	1888
В	भरतपुर	1679	24	30	67	512	509	293	244	1679
9	पाली	1586	0	54	70	243	704	120	395	1586
10	योग	20825	290	797	928	4240	9198	1665	3709	20827

हैंडटीचर/संस्था प्रधान—उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

Bus

योग

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

2 8 MAY 2019

क्रमांकः प. 5(8)प्राशि / 2016

जयपुर, दिनांकः 🤈 8 MAY 2019

- आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.2019 के द्वारा शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के बिन्दू संख्या 5 (4) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेंड-।।। लेवल-द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय दिशा-निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावेगी। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

> भवदीय. 41.30 (पारस चन्द जैन) शासन उप सचिव प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
- शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
- निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
- सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
- उपायुक्त (शाला दर्घण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
- 10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 12. समस्त पीईईओ।
- 13. समस्त संस्था प्रधान।
- 14. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / शिक्षक संस्थापन / एफ-6 / सैट-अप / वो.2 / 2019

दिनांकः 31614

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त मण्डल

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारं शिक्षा/मा. शिक्षा समस्त

विषय:- प्राशि अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन बाबत् काउंसलिंग के संबंध में।

प्रसंगः— शासन का पत्र क्रमांकः पं.5(8)प्राशि / 2016 जयपुर दिनांकः 28.05.19 तथा इस कार्यालय का पत्रांकः शिविरा / प्रारं / शाला दर्शन / सी / स्टा. पैटर्न / 2018 / एल—1 दिनांकः 29.05.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षको/शैक्षणिक कार्मिको के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश एवं कलैण्डर जारी किया गया है।

प्रासंगिक पत्रों के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:—

- स्टाफिंग पैर्टन के पुनर्निर्धारण एवं समायोजन के संबंध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.19 में दिए गये कलैण्डर के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 2. विगत वर्ष में हुए स्थानान्तरणों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र/आदेश क्रमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश क्रमांक:— शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ—6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28. 02.2019 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "ऐसे समस्त स्थानान्तरण आदेश जिनकी अभी तक पालना नहीं हो पाई को निरस्त कर पूर्व पदस्थापित मूल स्थान/पंचायत समिति/जिले में रिक्त स्थान पर कार्यमुक्त करें।" उक्त आदेश की पालना में निम्नानुसार दिनांक 04.06.2019 तक अनिवार्यतः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें—
 - (अ) किसी अध्यापक का प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और वह माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश से वहीं पदस्थापित है और इस कारण इसके पद पर अन्य विद्यालय/जिले से स्थानान्तरित होकर आए अध्यापक के संबंध में स्थानान्तरण आदेश की पालना न हो सकी हो तो राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(ब) किस अध्यापक का स्वैच्छिक / प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और स्थानान्तरित विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में वर्णित शर्त "स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।" की पालना नहीं किए जाने अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं किए जाने से कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं होने हुई है अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं हुई है और कार्मिक को स्थानान्तरित विद्यालय / अन्य विद्यालय / कार्यालय में ऑफलाईन कार्यग्रहण करवाया गया है तो स्थानान्तरित विद्यालय जादेश की पालना न हो सकने के कारण राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात स्थानान्तरित आदेशों से स्थानान्तरित कोई भी कार्मिक ऑफ लाईन कार्यग्रहण नहीं किया हुआ होना चाहिए।

नोट:-

- (अ) राज्य सरकार के पत्र/आदेश क्रमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश क्रमांक:— शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ—6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28.02.2019 की पालना में यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही नियमानुसार समायोजन हेतु पद रिक्त होने पर कार्यमुक्ति अपडेट करवाते हुए स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे। तथा स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में समायोजन हेतु पद रिक्त नहीं होने पर शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/बीकानेर से कार्यमुक्ति निरस्त करवाकर स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में मैपिंग सहित अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- (ब) दिनांक 05.06.2019 को उक्त आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 3. 6 डी के तहत सैटअप परिवर्तित / राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापक जिसे प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्रारम्भिक शिक्षा शहरी क्षेत्र के विद्यालय में समायोजित किया गया हो एवं आदिनांक तक चुनाव कार्य / अन्य कारण से कार्यमुक्त नहीं किया गया हो उसे दिनांक 04.06.2019 तक तत्काल प्रभाव से शालादर्पण के माध्यम से समायोजित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करें। प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कार्मिकों से संबंधित सभी परिवेदनाएं संबंधित CDEO/DEO द्वारा निस्तारित की जा चुकी है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित सभी कार्मिकों को अनिवार्यतः संबंधित माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा यदि कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो दिनांक 05.06.2019 को ऐसे कार्यमुक्त नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि कार्मिक ने प्रारम्भिक से माध्यमिक शिक्षा में हुए पदस्थापन आदेश पर स्टे ले लिया हो तो कार्मिक के समायोजन से पूर्व पदस्थापित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में ही मैपिंग के साथ अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- 4. शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक का ही वेतन आहरित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी ऑफ लाईन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरित नहीं करवाया जाना सुनिश्चत करावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वेतन व्यवस्था के लिए जारी आदेश निदेशक द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी होगें।
- 5. निलम्बित कार्मिक का जिस कार्यालय में मुख्यालय किया गया है कार्मिक की शाला दर्पण पोर्टल पर उसी कार्यालय में ही प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6. यदि कोई विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है/कमोन्नत नहीं हुआ है तो शाला दर्पण प्रकोष्ठ बीकानेर/जयपुर से समन्वय करके शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित/कमोन्नत करवावें तथा विद्यालय का स्टाफिंग पैर्टन जनरेट/ रिजनरेट करवावें साथ ही इस कारण कोई कार्मिक पोर्टल पर ऑन—लाईन कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 7. सीधी भर्ती से नवचयनित कार्मिक का जिस मैपिंग किए हुए कार्मिक के स्थान पर पदस्थापन हुआ है उस मैपिंग किए हुए कार्मिक को शाला दर्पण प्रकोष्ट जयपुर से अधिशेष करवाकर मैपिंग करवाया जाकर नवचयनित कार्मिक को शालादर्पण पोर्टल कर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8. पदों के विद्यालय वार आवंटन (स्टाफिंग पैर्टन के पुनः निर्धारण) एवं समानीकरण / पदस्थापन बाबत शाला दर्पण पोर्टल द्वारा काउंसलिंग के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 11 से बिन्दु संख्या 20 तक विस्तृत दिशा निर्दश अंकित है, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 9. शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 13 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में संबंधित पद एवं विषय में समायोजित कार्मिकों में से जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर किनष्ठतम कार्मिक से जिले में अधिक टहराव (विरष्ठ) वाले प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तित एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की वर्तमान जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची शाला दर्पण पोर्टल द्वारा तैयार कर दिनांक 05.06.2019 तक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकः 07.06.2019 तक काउंसिलंग द्वारा माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 10. शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेख के अनुसार दिनांकः 05.06.2019 तक शत प्रतिशत अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे। दिनांकः 06.06.

Qu

2019 के उपरान्त किसी भी कार्मिक का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेखों से भिन्न पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी!

- 11. यह भी सुनिश्चित करावें कि शून्य नामांकन वाले किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक का पदस्थापन/समायोजन न हो।
- 12. यह भी सुनिश्चित करावें कि समस्त कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि अवश्य हो, कोई भी कार्मिक ऑफलाईन न रहे।
- 13. यह भी सुनिश्चित करावें कि काउंसलिग प्रक्रिया के पश्चात विद्यालयों में अध्यापकों के दोहरे पदस्थापन की स्थिति न रहे।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:--

- विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख <mark>शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं</mark> भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3. शासन उपसचिव, प्रारं<mark>भिक शिक्षा एवं पंचायती राज</mark> (प्राशि) शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 5. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, जयपुर को दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
- 7. सहायक निदेशक, शाला दर्शन प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- 8. पीईईओ, समस्त।
- प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10. संस्था प्रधान, समस्त विद्यालय।
- 11. संबंधित कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की शत प्रतिशतपालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान बीकानेर



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राघाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com

फोन-0141-2705937, 2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2015-16 / 2.268

दिनांक : 6 4)6

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि एवं पर्वेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय : शाला दर्शन पोर्टल पर प्रपन्न 1 , 2 व 2थी, 2सी के अपदेशन के क्रम में 1

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्शन पोर्टल को प्रपन्न 1 , 2 व 2 बी, 2 सी के अपरोशन के संबंध में सीमित जविव के लिये खोला जा रहा है। एसएसए के वेब पोर्टल पर शाला दर्शन से सम्बन्धित अपरोशन का कार्य प्राथमिक तीर पर प्राप्मिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से कार्यमुक्त होकर गान्यमिक शिक्षा विभाग में गये शिक्षकों, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पर्वान्मत शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों को प्रपन्न 2 में जोड़ने हटाने के लिये किया जाना है। इस सदर्भ में निम्नानुसार कार्यकारी करवाया जाना सुनिश्चित करार्ये —

 विभिन्न कारणों यथा सेटअप परिवर्तन, प्रमोशन, नवपवस्थापन, रिटायरमेंट आदि कारणों से प्रारम्भिक शिक्षा के आयापकों की शाला दर्शन की सूची में कुछ बवलाव हुआ है। इस बवलाव को पोर्टल पर वर्ज कराने के लिये बीईईओ लॉमिन में 2 नये मॉडयूल 6 जुन से प्रारम्म किये जा रहे हैं।

 अपडेशन का कार्य बीईईओ लीगिन से केवल उन्ही शिक्षकों के लिये होगा जो या तो कार्यमुक्त हुये है या नया कार्यभार ग्रहण किया है।

अपडेशन की इस प्रक्रिया में उन शिक्षकों की प्रविष्टि भी करवायी जानी है जिन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में सैटअप परिवर्तन के कारण शिष्ट किया गया है लेकिन एकल शिक्षक विद्यालय होने या किसी अन्य कारण से उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नवपदीन्त्रत प्रधानाध्यापकों (द्वितीय श्रेणी अध्यापक, जो तृतीय श्रेणी से पदीन्त्रत हुये हैं) का भी अपडेशन कार्य किया जाना है।

 बिन्दु संख्या 2 से 4 के अतिरिक्ता अन्य शिक्षकों के लिये किसी भी प्रकार का अपडेशन कार्य बीईईओ लॉगिन से नहीं हो सकेगा।

- 6. शिक्षकों की विभाग/विद्यालय में किसी भी कारण से कार्यमुक्ति एवं विभाग/विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के कम में पीर्टल पर अपेडशन के लिये शाला दर्शन पर वो नये लिक शुक्त किये गये हैं। पहला लिक विद्यालय से किसी भी कारण से एग्जिट होने वाले शिक्षकों के लिये हैं। यह 'स्टॉफ एग्जिट' के नाम से हैं। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग छोड़कर माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाने वाले, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही पदी-नित के कारण स्मानारित हुये शिक्षकों के लिये हैं। इसमें उन शिक्षकों की भी प्रविधित की जानी है जिन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन/शिषट किये जाने के आवेश प्राप्त हुये लेकिन एकल अध्यापक होने वा किसी अन्य विभागीय कारण से फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। दूसरा लिक 'स्टॉफ ज्वाइन के नाम से हैं। इसके अन्तर्गत माह्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से आवे शिक्षकों एवं भविष्य में आने वाले नव नियुक्त शिक्षकों की प्रविधित्यों की जानी है।
- 7. स्टॉफ एरिजट प्रोसाम लिंक के द्वारा विभिन्न कारण (जो कि प्रोग्राम प्रारम्न करने के बाद दिखाई देगें) से विद्यालय फोडने वाले अध्यापकों का विवरण दर्ज करना है। ध्यान वे इसमें विद्यालय के पूर्व प्रविष्ट अध्यापक ही दिखाई देगें। जिसमें लास्ट के कॉलन में उचित कारण था। धयन करना है। इसी प्रकार स्टॉफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम लिंक द्वारा विद्यालय में भाष्यिनिक शिक्षा से आने वाले अथवा नयी ज्वाइनिंग वाले स्टाफ को ऐंड करना है।

 इन दोनों प्रोग्राम्स के चलाने के पश्चात विद्यालय स्टॉफ में केवल वही नाम दिखने चाहिये जिनकी सैलरी इसी विद्यालय से उठनी है।

 स्टॉफ एग्जिट में कार्मिक वयन को पश्चात स्टॉफ के एग्जिट होने का कारण यदि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पदीन्त है तो जिला, ब्लॉक, विधालय, विषय का चयन कर सेव करें।

 माध्यमिक शिक्षा विभाग से आये समस्त शिक्षकों के नाम उजत लिंक से जोड़ने के पश्चात उनके लिये सन्बनिधत 2बी/2सी भरा जाना है।

11. पूर्व में यदि किसी भी शिक्षक का दिवय ठीक प्रविष्ट नहीं है तो उसका अपडेशन कार्य बीईईओ लीगिन पर नहीं

िशक्षा विभाग में 2008 तक तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति के समय स्नातक में जो विषय थे, लेवल 2 के विषय निर्धारण में वे ही विषय मीचे दी गई लिखिका के अनुसार मान्य होंगे। यदि नियुक्त के पण्यात कोई भी शिक्षक अति, विषय के रूप में स्नातक की अहंता प्राप्त करता है तो उसकी सेवा पुस्तिका में तो वह अतिरिक्त विषय (पर्दीन्नित के लिये नियमानुसार) जोड़ा जा शकेंगा लेकिन प्रपत्र 2वीं में अति, विषय नहीं जोड़ा जावेगा। जानकारी में आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा स्नातक करने के पश्चात अतिरिक्त (धतुर्थ) विषय के रूप में अतिरिक्त योग्यता अधित कर उसे प्रपत्र 2शीं में खोड़ा जा रहा है। जो कि अनुयित है यह उस्लेखनीय है कि इस तरह से

अतिरिक्त विषय किसी भी शिक्षक के प्रपन्न 2भी में नहीं जोड़ा जावे। निय्चित के समय तक अजित योग्यता (विषय) ही लेवल 2 के विषय निर्धारण के लिये मान्व होगा।

विशिष्ट पूर्व प्राथमिक (उच्च प्राथमिक) एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों का स्टाफिंग पैटर्न पूर्व में जारी दिशा

निर्वेशानुसार रहेगा तथा शाला दर्शन पोर्टल पर इसकें लिये मैन्युअल फीडिंग की आवेगी।

14. 0 नामांकन वाले समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्टाफिंग पैटर्न की सुची/प्रक्रिया से अलग कर

दिया गया है। अतः आपको अपने जिले / ब्लॉक के विद्यालयों की संख्या पोर्टल पर कम दिखाई देगी।

15. पोर्टल पर यदि अभी भी पंचायती राज, शिक्षा विभाग, शिक्षाकर्मी, केजीबीवी एवं अन्य आवासीय दिवालयों के प्रबंधन के विद्यालयों के अतिरिक्त यदि संस्कृत या अन्य प्रबंधन के विद्यालय आ रहे हो तो उन्हें परिश्रम पूर्वक हटवाया जाना सुनिश्चित करें। एक भी विधालय अन्य प्रशंधन का पोर्टल पर जुड़ा हुआ नहीं रहना धाहिये। ठीक इसी तरह कोई विद्यालय अभी भी जुड़ने से छूट रहा हो तो उसे जुड़वाना सुनिश्चित करें। साथ ही अब तक नहीं जोड़ जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

16. शिक्षकों के विषय निर्धारण पूर्व में 16 फरवरी 2016 को जारी दिशा निर्देशों के क्रम में निम्न आधार पर होगा :--(I) वर्ष 2008 से पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त हुए गणित , विज्ञान एवं अंग्रेजी के वरिष्ट अध्यापको का विषय प्रथम

नियुक्ति के विषयानुसार होगा।

(ii) वर्ष 2008 के पश्चात नियुक्त/पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों का विषय उनकी नियुक्ति/पदोन्नति के विषय के अनुसार निर्धारित होगा।

(iii) वर्ष 2006 से पूर्व पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों का विषय जनके बिन्दु संख्या 12 (ग) पर दर्शाये गये रनातक क्षे

एंक्किक विषयों के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित होगा।

18	स्थातक के ऐत्रिक विषय	निवरित विषय
01	गणित ऐत्तिमक विषय में साथ क्रम्य ऐत्तिमक विषय	nfilter
00	प्राणी विद्यान अध्या वनस्पति विद्यान ऐस्थिक विषय के साथ गणित विषय को श्रोडकर अन्य ऐत्यिक विषय	Physical
00E	अमेजी सर्वरण ऐतिका विभाव के भाग अन्य ऐतिका विभाव	seitoft.
04	हिन्दी साहित्य ऐतिहरू विषय में साथ अंग्रेजी साहित्य विषय को फोजकर जन्य विषय	favet
05	एतीय पाण (संस्कृत, पर्यू, फलाबी, पुजराती, सिधी) के साथ हिन्दी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य विषय को फोडकर अन्य ऐसिक्स तिषय	सम्बन्धित वृतीय भाष
06	समाजिक अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले एकिक विषय प्रधा राजनीति विकान/मृगोल/काोकारव/इतिहास/दर्शन शास्त्र/शामाज शास्त्र/ओक प्रशासन/मन्नीस्कान/गृह विकास इत्यादि में सं कोई दो एकिक विषय के साथ अन्य ऐकिक विषय (हिन्दी खड़ित्य, अंग्रेजी स्वहित्य एवं एकीय मामा को विषय को फोडवान)	econflow fitures
07	पण्डीमा कर्म । से ६ डे अलाव अन्य ऐकिक विषय होने पर	10464

(lv) तुतीय श्रेणी अध्यापक के लेवल (लेवल—1 या लेवल—2) का अंकन निम्नानुसार किया आवे ।

वर्ष 2012 एवं 2013 में आर.टी.ई के प्रावधानुसार भर्ती किये गये तृतीय क्षेणी अध्यापको का लेवल जिस पद (v) पर नियुक्त किया उनके उसका विषय उसी अनुसार निर्धारण होगा

जपरोक्त बिन्दु 'v' के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापको के लेवल निम्नानुसार होगा --(vi)

बीएसटीसी होने पर लेवल । निर्धारित होगा।

बीएड होने पर लेवल 2 निधारित होगा।

लेवल-2 के दुर्तीय श्रेणी अध्यापकों के विषयों का अंकन निम्नानुसार होगा

(viii) वर्ष 2012 एवं 2013 में आर.टी.ई के प्रावधानुसार मती किये गये तृतीय श्रेणी लेवल-2 आयापक के विषय का निर्धारण नियुक्ति विषय के अनुसार होगा।

17. वास्तविक स्थिति के आधार पर यदि किसी शिक्षक के विषय में अपदेशन की आवश्यकता है तो इसके लिये जिलों के माध्यम से परिवेदनाओं को समेकित करवाते हुये परिषद् को स्पष्ट कारण सहित मय दश्तावेजों के शिजवावें।

- 18, ब्लॉक कार्यालयों से परिषद् को सीधे ही प्राप्त ईमलों पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। अस ब्लॉक से सम्बन्धित समस्त समस्याओं / मार्गदर्शन आदि से सम्बन्धित पत्राचार जिला स्तर पर समेकित कर जिलों के माध्यम से ही मिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। विधालय/शिक्षक से सम्बन्धित किसी भी समस्या को प्रस्तुत करते समय विद्यालय का ढायस कोड आवश्यक रूप से लिखे साथ ही एक ही बिन्द् / समस्या से सम्बन्धित ईमेल को बार-बार मल न करावे।
- 19. किसी भी प्रकार की शकनीकी समस्या एवं मार्गदर्शन के लिये परिषद् पर सम्पर्क करने से पूर्व जिले के एमआईएस से आवश्यक रूप से सहयोग ले।
- 20. स्टाफिन पैटर्न एवं शाला दर्शन से सम्बन्धित समस्त मेल rajssashaladarshan@gmail.com पर ही करें। अन्य ईमेल आईडी पर प्रेष्य ईमेल पत्री पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(डी. प्रिया बलराम शर्मा) 6/6/16

कमान-गणारिय/गुणवत्मा विका/शा दर्शन/2015-16/ प्रतिशिष सूचनार्थः।

निजी सर्वित, आयुक्त, राप्नाष्ट्रिय, जयपुर।

निवेशक प्राथमिक शिक्षा, निवेशालय बीकानंप, 2

कति, जिल्हा परियोजना समन्वयक, अर्थ शिक्षा अभियान, शमस्त्र जिले ।

मरीक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त बर्गाक ।

रक्षित प्रज्ञवती i

अति. आयुवत

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कमांक-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/शाला दर्शन/स्टॉफिंग पेटर्न/15'-16/दिनांक

जिला शिक्षा अधिव	गरी (प्रारम्भिक शिक्षा)
ब्लॉक प्रारम्भिक वि	
पंचायत समिति	

विषय:— स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यालय, श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार पदों के निर्धारण के संबंध में । प्रसंग:— राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (8) प्राशि / 2016 जयपुर दिनांक 21 अप्रेल 2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में उल्लेखित विद्यालय के लिए मान और मानक की कम संख्या 1 (क) एवं 1 (ख) के अनुसार राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर विद्यालयवार, श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार अध्यापकों के पद आंवटित करने व राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 के अनुसार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात स्थापित करने हेतु शासन के आदेश क्रमांक प.5 (8) प्राशि / 2016 जयपुर दिनांक 21 अप्रेल 2016 की पालना में 30 सितम्बर 2015 के नामांकन के आधार पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 8 में उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक / विषयवार निर्धारण कर प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार आपके जिले / ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार पद संलग्न सूची के अनुसार एत्द द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । सभी संम्बधित को सूचित करावें ।

सलग्नः- उपरोक्तानुसार ब्लॉकवार सूची ।

्रापदीश चन्द्र पुरोहित) (जगदीश चन्द्र पुरोहित)

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:-

- 1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2. निजी सचिव आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 3. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को संलग्नानुसार मदवार/श्रेणीवार पदो का आवंटन जारी करने की कार्यवाही हेतु ।
- 4. संबंधित उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा......
- 5. अनुभाग अधिकारी नियुक्ति अनुभाग
- 6. रक्षित पत्रावली ।

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / सी / स्टा.पैटर्न / 2018 /327

दिनांक:- 10.6.2019

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग ।

> शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रा/राउप्रा विद्यालयों में :-प्रारम्भिक शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के क्रम में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों का मण्डलवार एवं जिलेवार पुनर्निर्धारण बाबत।

> प्रसंग :- शासन का पत्रांक:- प.5(8)प्राशि / 2016 दिनांक: 28.05.2019 का बिन्दु संख्या-1

उपर्युक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रा/राउप्रा विद्यालयों में विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के कम में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके बिन्दु संख्या–1 के अनुसार हैडटीचर/संस्थाप्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पदों का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में परिशिष्ट 2 के अनुसार संमागवार वितरण एवं परिशिष्ट 3 के अनुसार जिलेवार वितरण पुनर्निर्धारित करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में निर्देशानुसार तैयार परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 संलग्न प्रेषित कर लेख है कि शासन के आदेश दिनांक 28.05.2019 के अनुसार एवं निदेशालय द्वारा जारी संशोधित टाईम फेम के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण सम्बन्धी आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3

प्रारंभिकशिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग . राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 3- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त।
- 5- मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समस्त ।
- 6— तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न जनरेट किया जाना सुनिश्चित करे।
- 7— सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन/बजट/योजना/शैक्षिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 8- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारंभिकशिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर



परिशिष्ट-2

हैडटीचर/संस्थाप्रधान- उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

Division	Maths	Science	English	Hindi	SST	General	Third Language	Total
AJMER	12	176	209	448 .	1258	582	342	3027
BHARATPUR	21	24	125	385	494	208	303	1561
BIKANER	27	264	212	135	368	246	234	1486
CHURU	51	84	164	279	668	220	212	1678
JAIPŮR -	49	118	228	430	1098	360	308	2591
JODHPUR -	3	74	188	332	1153	229	384	2363
КОТА	13	94	92	341	485	407	320	1752
PALI Tel	1	63	133	235	542	341	160	1475
UDAIPUR	. 6	27	55	572	1453	716	358	3187
Grand Total	1.183	924	1.406	3158	7519	3309	2621	19120

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.) विभाग,

Scanned by CamScanner

हैं बटोंबर / संस्थाप्रवान- उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

Division				(जिलेवार)	115 - 00		44 MM 144		•
LIMER	District	Maths	Science	English	Hindi	SST	General	Third	Tota
AIPUR	AJINER	5	58	46	400	7 788	20108000	Language	1018
DAPUR	TEMAS	20	40		101	288	129	79	706
COTA	EANSWARA	1	0	83	165	481	112	105	1006
	3194N	4	18	12	92	182	134	42	463
OOHPUR	BARMER	1	- 33	13	53	167	64	64	383
SHARATPUR	EHARATPUR	15	13	107	202	565	87	252	1247
AIMER	BHILWIARA	3		57	141	158	28	146	558
SIKANER	BICANER	5	21	55	123	421	127	141	891
KOTA	BUNCI	3	114	73	47	83	118	67	507
UDAPUR >	TOHITTAURGARH	2	21	24	74	79	82	77	360
CHURU	CHURU	7	8	3	99	282	123	76	598
14日1日	DAUSA	2	9	54	08	206	49	98	503
SHARATPUR	DHAULPUR	4	9	39	65	167	105	49	436
UCHAPUR	DUNGARRUS	1	2	17	104	108	38	27	300
ENCAMER	GANGANAGAR	14	61	9	65	214	83	57	432
BICANER	HANLIMANGARH	8	89	112	57	132	66	121	563
地形地	APUR	27	69	27	31	153	62	46	416
SUSHCICL	LASA JAER	1	5	106	200	450	143	154	1149
PAU	DALOR.	0	21	9	34	135	14	16	264
KOTA	HAVANAR	1	34	53	74	207	81	89	525
CHURU	LIH JINJHUWUN		22	28	124	151	163	113	614
JOOHPUR	JOSHPUR.	21		55	84	194	102	27	505
The state of the s		1	36	72	96	403	128	116	852
BHARATPUR KOTA	KARAUU	2	4	34	. 90	134	72	56	392
	KOTA	5	21	27	90	88	98	66	395
AJMER .	INAGAUR	3	78	70	131	415	210	41	948
PAU	P.A.U	1	39	43	129	235	183	54	684
JOHP JR	PRATAPGARH	1	2	9	60	126	73	48	319
UCAIPUR	EXISTINATE CONTRACTOR	1	8	9	89	261	122	61	551
SPITE TELES	SUADHOPUR	0	5	17	51	94	70	74	311
CHURL.	SHAR	23	53	55	115	268	69	87	670
PAU	المريبة المر	0	3'	37	32	100	77	17	266
aliver .	TONK	1	19	38	93	134	116	81	482
المراكز المدران	CANPLE.	0	6	3	167	386	181	74	824
Si	rand Total	183	924	1406	3158	7519	3309	2621	19120

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.) विभाग.

Scanned by CamScanner


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर

क्रमांक :-जिशिअ-मु0/प्राशि/उदय/संस्था-1/स्टा.पेर्टन/2019/6195

दिनांक :23-06-2019

स्टाफिंग पैटर्न अत्यावश्यक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंस-बडगांव/भीण्डर/फलासिया/गिर्वा/गोगुन्दा/ झाडोल/झल्लारा/खेरवाडा/कोटडा/कुराबड/ लसाडिया/भावली/ऋषनदेव/सलुम्बर/सराडा/ सेमारी/सायरा/शहर संस्थापन



प्रसंग:--राजस्थान सरकार का पत्रोक--प05(8)प्राशि/2016 जयपुर दिनांक--28.05.2019 एवं निदेशालय के पत्रांक दिनांक--29.05.2016 व 03.06.2019 एवं 12.06.2019 के संबंध में ।आपका पत्र कमांक 483 दिनांक 19.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय बीकानेर के पत्रांक-03.06.2019 के द्वारा

प्रदत्त निदेशों के संबंध में यह प्रदान किये जाते है कि:-

1—आपको विदित होना चाहिये कि दिनांक—24.06.2019 के पश्चात शाला दर्पण पोर्टल स्टाफिंग पैटर्न जनरेट हो सकता है । उक्त प्रकिया उपरान्त अधिशेष कार्मिकों की सूची शाला दर्पण पोर्टल के नाव्यन से प्राप्त होगी । उक्त सूची का उदयपुर जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर विरयता सूचियों का स्वतः ही निर्माण होगा । अतः आप आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ कार्मिकों की उदयपुर जिले में कार्यग्रहण तिथि,प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि,विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि,विमाग में कार्यग्रहण तिथि,इम्प्लोई आईडी एवं मोबाईल नंबर आदि दिनांक में संशोधन पीईईओ की लोगिन आईडी से गृह जिले के मोडूयल में जाकर आवश्यक रूप से संशोधन/सही/अपग्रेट करावें । उक्त विसंगित के घलते यदि कार्मिक अधिशेष होता है या वरियता सूची में मिन्नता आती है तो उसके लिये आप स्वयं/पीईईओ/संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी होगी ।

2-पूर्व परामर्श कैम्प को ध्यान में रखते हुये,आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट समस्त शिक्षकों एवं शैक्षणिक कार्मिकों की विगत(सही Detail Where about) संस्थापन रेकार्ड का पूर्ण मिलान सेवापुरितका एवं व्यक्तिगत पंजिका में उपलब्ध बीए की अंकतालिका के आधार पर विषय का मिलान आवश्यक रूप से कर लेवें । विधवा/परित्यक्ता/असाध्य रोगी के प्रमाण पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रख लेवें ।

3-यह है कि आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ ऑफलाईन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जावें । ऑफलाईन कार्यरत समस्त शिक्षकों/कार्मिकों की सूचना कारण सहित तत्काल कार्यालय को मिजवावें । सूचना अप्राप्त होने की रिथति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।



4-आपके ब्लॉक कार्यालय के अधीनस्थ दोहरा पदस्थापन होने की स्थित में सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल कार्यालय को भिजवावें । सूचना अप्राप्त होने की स्थिति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

5-कोई भी ऑफलाईन कार्यरत कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नही है तो उसे दिनांक-25-06-2019 को कार्यालय में समस्त (CWSN सहित) आवश्यक दस्तावेजों के साथ मिजवावें,जिससे शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित की सूची में शामिल किया जा सके । कार्मिक के नहीं आने की स्थिति में आप स्वयं/संबंधित पीईईओ/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

6-आपके ब्लॉक मे कार्यरत समस्त पाते वेतन प्रअ(द्वितीय वेतन श्रंखला) की सूचना कार्मिक का नाम,पद,पदस्थापन स्थान,जन्मतिथि,प्रथम नियुक्ति तिथि एवं वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि का प्रारूप

तैयार कर दिनांक-25.06.2019 तक कार्यालय में भिजवावें ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्राशि,उदयपुर दिनांक :23-06-2019

क्रमांक : जिशिअ—मु०/प्राशि/उदय/संस्था—ा/ स्टा.पेर्टन २०१९/६१९५ प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1. श्रीमान निदेशक महोदय,प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
- 2. श्रीमान उपायुक्त महोदय,राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर ।
- 3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
- कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्राशि,उदयपुर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रार/शालादर्शन/सी/रटा.पैटर्न/2018/332

दिनांक : 01 - 07- 2019

1. संयुक्त निदेशक, रकूल शिक्षा, रामरत रांगाग।

2. तफनीकी निदेशक, एन.आईसी. केन्द्र, शिक्षा संकुल, जयपुर।

3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला।

4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिला।

5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राजप्रा विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण) के संबंध में।

संदर्भ:- शासन का आदेशांक कमांक प.5(8)प्राशि / 2016 / जयपुर दिनांक 28.5.19 तथा निदेशालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 29.5.2019.

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों एवं विभागीय निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक / राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2018—19 के सत्रांत के छात्र नामाकन के आधार पर श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार पदों का पुर्निनिर्धारण एवं विद्यालय में समायोजन ऑन लाईन प्रकिया से एन आई.सी. द्वारा किया जाकर जनरेट कर निदेशक महोदय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा गठित सत्यापन दल द्वारा परीक्षणोपरान्त शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव कर दिया गया है। इस संबंध में आप द्वारा की जाने वाली आगामी कार्यवाही का संशोधित टाईम निम्नानुसार जारी किया जाता है। समयबद्ध रूप से समस्त कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें:—

अपेक्षित कार्यवाही दिनांक एन.आई.सी. द्वारा स्टाफिंग पैटर्न शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव करना। 02.07.2019 कार्यालय हाजा के दिनांक 03.06.2019 के पत्र में निर्देशित आवश्यक कार्यवाही 02.07.2019 की शत-प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करना एवं पूर्व में आयोजित विभिन्न काउन्सलिंगों के सभी चरणों की शत-प्रतिशत कियान्विती किया जाना सुनिश्चित करना। ब्लॉक, जिला एवं संभाग कार्यालय स्तर से पोर्टल पर ज 03.07.2019 नरेट स्टाफिंग पैटर्न को सत्यापित कर कमशः ब्लॉक, जिला एवं संभागवार लॉक करना एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा स्टाफिंग पैटर्न की विद्यालयवार सूची प्रिन्ट कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ब्लॉकवार, विद्यालयवार सूची प्रिन्टकर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय कमेटी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना। समिति से अनुमोदन उपरान्त संयुक्त निदेशक

WK

	रकूल शिक्षा द्वारा संबंधित जिलेवार, ब्लीकवार, विद्यालयवार शूची प्रिंट कर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेपित करना।
03.07.2010	िता शिक्षा अधिकारी (पुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पोर्टल पर अधिशेष कार्मिकों की शत-प्रतिशत मैपिंग करके पोर्टल रो अधिशेष/अप्रदर्शित/3यी (माध्यमिक शिक्षा में रामायोजन पश्चात शेष प्रारम्भिक शिक्षा को लौटाये गयं कार्मिक) कार्मिकों की काउन्सिलंग हेतु वरीयता सूची एवं रिक्त पदों की सूची जनरेट कर प्रकाशित करना एवं वेयसाईट पर अपलोड करना।
04.07.2019	अधिशेष/अप्रदर्शित/3वी कार्मिकों की काउन्सिलंग, पोर्टल पर ऑनलाईन मैपिंग तथा मैपिंग पश्चात प्रस्तावित समायोजन/पदस्थापन आदेश जारी कर प्रकाशित करना एवं वेब साईट पर अपलोड करना।
08.07.2019 तक	जिला स्थापना समिति से अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन आदेशों का अनुमोदन पश्चात समायोजन/पदस्थापन आदेश जारी कर प्रकाशित करना एवं वेब साईट पर अपलोड करना।

नोट:- तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 सीधी भर्ती 2018 की काउन्सलिंग अधिशेष / अप्रदर्शित / उनीं कार्मिकों की काउन्सलिंग के पश्चात ही दिनांक 04.07.2019 से 07.07.2019 तक आयोजित किया जाना

सुनिश्चित् करें।

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज. (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 01-07-2019

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/स्टार्फिंग पैटर्न/2018/ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।

2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउन्सलिंग हेतु अधिशेष शिक्षको एवं शैक्षणिक कार्मिको की सूची एवं रिक्तियां शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करावें।

4. अनुभागाधिकरी, शिक्षक संस्थापन अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक निर्देश एवं प्रभारी मोनिटरिंग कर समस्त जिलों में अधिशेष कार्मिको की काउन्सलिंग पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि जिन शिक्षको एवं शैक्षणिक कार्मिकों के बजट हैड प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, आगामी दो दिवस में उनके बजट हैड की प्रविष्टि करावें।

6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज. (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांकः— शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा पैटर्न/2018/ संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग दिनांक:- 11/07/19

विषय:— स्टाफिंग पैटर्न—2019 में सत्र 2018—19 का नामांकन अपडेट नहीं होने के कारण पोर्टल से जेनरेट हुए स्टाफिंग पैटर्न में वास्तविक नामांकन के अनुरूप शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत/आवंटन नहीं होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में विद्यालयवार शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण के संबंध में जारी आदेश दिनांक 28.05.19 की अनुपालना में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सत्र 2018—19 के अंतिम नामांकन के आधार पर विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट कर शैक्षणिक कार्मिकों के विद्यालयवार, श्रेणीवार, विषयवार एवं लेवलवार पदों का निर्धारण किया गया है तथा उसके अनुरूप अधिशेष कार्मिकों के काउंसिलंग के माध्यम से अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

इस कार्यालय को जेनेरेट हुए स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में कितपय ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें विद्यालय का सत्र 2018—19 का नामांकन अपडेट नहीं होने के कारण विद्यालयों में कम पद आवंटित होने संबंधी उल्लेख है, जबिक समय—समय पर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को नामांकन अपडेट किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट करने हेतु सत्र 2018—19 के अंतिम नामांकन को आधार माना गया है और सत्र 2018—19 में प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तैयार करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये हैं। ऐसे में विद्यालय का नामांकन अपडेट नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होना स्वयमेव यह प्रमाणित करता है कि संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित अधिकारी पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन के प्रति गम्भीर नहीं थे।

अतः आपके मण्डल के अंतर्गत संचालित प्रारंभिक शिक्षा के किसी राजकीय विद्यालय में सत्र 2018—19 का नामांकन सत्रांत तक भी संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान/पीईईओ/बीईईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट नहीं किया/करवाया गया है और इसके कारण किसी विद्यालय में स्टाफिंग पैटर्न—2019 अन्तर्गत कम पदों का निर्धारण/वास्तविक भौतिक नामांकन के अनुरूप पद निर्धारित नहीं हुए हैं तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे

प्रकरणों की गहन जांच करवावें तथा नामांकन के सत्यापन उपरांत यदि किसी राप्रावि/राउप्रावि में सत्र 2018—19 का नामांकन सत्रांत तक भी अपडेट नहीं कियें जाने के कारण वास्तविक नामांकन के अनुरूप पद निर्धारित नहीं हुए हैं, ऐसी पुष्टि होती है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पीईईओ, एसीबीईओ प्रथम (पोर्टल प्रभारी) को कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त विद्यालयों का पुनः स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को अविलम्ब मिजवावें तथा इस आशय का प्रमाण—पत्र भी मिजवावें कि— "उक्त प्रस्ताव के अलावा अन्य सभी विद्यालयों का सत्र 2018—19 का सत्रांत नामांकन अपडेट है तथा उनमें सत्र 2018—19 के सत्रांत के अपडेटेड नामांकन के आधार पर ही सही स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट हुआ है"।

निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर दिनांक:- 11/07/19

क्रमांकः— शिविरा / प्रारं / शाला दर्शन / सी / स्टा.पैटर्न / 2018 / प्रतिलिपिः—

- विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3. उपायुक्त, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर को लेख है कि 2018–19 का नामांकन अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए नामांकन संशोधित विद्यालयों का पोर्टल पर स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण की सुविधा उपलब्ध करावें।
- 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारं शिक्षा, मुख्यालय, समस्त।
- 7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 8. समस्त एबीईईओ प्रथम / पीईईओ / संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि अपने विद्यालय का सत्र 2018—19 का सत्रांत नामांकन पोर्टल पर विद्यालय के स्टाफिंग पैर्टन पेज पर प्रदर्शित नामांकन से मिलान कर विद्यालय अभिलेखानुसार शत प्रतिशत सही पाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

स्थाकिय प्रेटर्स ने लायक्त में हम्य हरवासीय नाम्बाला मिसा संख्य स्मान होते के बाद शीच ही अधिमें हुने शिक्सी की काउसिएं सम्मान होते के बाद शीच ही अधिमें हुने शिक्सी की काउसिएं का अन्तर्भ शिक्षकों का समामानम् अन्य तिसालम् है अपना नास्त्री व्यानम् शिक्षकों का समामानम् अन्य तिसालम् है कार्यान्तर्स का तर देश थिडाधित्र में, रिस्ये च हम्मतर 'रत क्रिका के उश्वासम् किक्स की उसी मियाला में रिक्त लेकिल एक्स के पदी पर लसामो जिन भिमा अविजा। पूर्व में उठ प्राव्य निव में नामांकाने 120 होते गर भारीरिकाभिकाका पद एकित किया आता मा उत्त 105 ये अधिका त्या अपिता हित्री में क्षेत्र होते तर ति सामा के प्रिविट हित्री में क्षेत्र होते तर विसाम के प्रिविट हित्री में क्षा ति कि सामा के प्रिविट हित्री में क्षा होते पर विसाम के प्रिविट हित्र में क्षा हित्र में के प्रसाम हित्र में

मर्पमाने में जिस निषम के नामर्य है उस विस्तालम भें तहानाहमापन

पर असी जिसम भा रहेगा। प्रक्रेम अरहमापना की भासादपीण पीरेट पर Entry होती न्मीहर्म। जो आफलाईन हे उनका जरून माह ले केरान किरोहरित नहीं किया आमेगा मिरोष प्रतिस्वारि में निर्देशक महोदम् से स्वीकारि मिलते पर ही अगहरित किया आका। स्तरः औ आह्यापक अगम तन्त उनापत साइन हे भी अपना रूपर कारण शिरमें डिमान श्रेका अधिकारी के तमे नित्र परनाय ति। शि:अधिकारी पाठ नी भेजवारी

क्षित नाथ ही वरामा आमा हिल के मिया कारिकों की कार्यमें किर I'm mission PEED LUGINA of Elmit CBED LOGING ESTA) एके अहमापन जिन में क्षेत्र में आहे भी मिरी जिले व विद्यालय में माम्येत्व शिर्म क्रिट्टि तर्यायव स्थानिय स्ट सन्त्र है विद्यालम से उनियान मार्च गर्छ। ति थि (नहीं होना आवश्यन ही

इसकार्मशाला हो मिन्द्र भगवान कि दिश्य दिनीए) क्रमार्करण अति कि कि कि का निमा सिंह सहामा निमान हो कामिला हो ने भाग किया।

> Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार शिक्षा प्रारम्भिक विभाग

क्रमांकः प. 5(8)प्राशि / 2016

जयपुर, दिनांक : 2 4 JUN 2016

- 1. निदेशक, राज. प्रारंभिक शिक्षा परिषद् / माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 2. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 3. समस्त जिला कलक्टर
- 4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ।

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश एवं पदस्थापन प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम बाबत्।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.06.2016 एवं 24.06.2016 के अनुसरण में पदस्थापन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैं :--

क्र. सं.	सम्पादित किये जाने वाले कार्य का विवरण	कार्य सम्पादन की अन्तिम तिथि	अधिकारी जिसको कार्यवाही करनी है
1-	प्रारम्भिक शिक्षा के एकीकृत हुए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2016 के अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का पुनर्निर्धारण एवं स्वीकृति जारी किया जाना	27.06.2016	 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर सम्बन्धित उपनिदेशक – प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा
2.	इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2016 के अनुसार प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्मिकों के स्वीकृत पदों के अनुसार अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार), प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं संविदा शिक्षक का शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से विद्यालयवार / संवर्गचार निर्धारण तथा जिलेवार सूचीयों को निर्धारित प्रपन्न में तैयार करना।	29.06.2016	 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर सम्बन्धित उपनिदेशक — प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी—प्रारम्भिक शिक्षा
3.	शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक-17(2) शिक्षा-2/ 2003 दिनांक 08.05.20.16 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को लौटाये गये शिक्षक/संविदा कार्मिक/शारीरिक शिक्षक एवं इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.4.20.16 के अनुसार विद्यालयवार पदों के निर्धारण एवं एकीकृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण के पश्चात प्रारमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 तथा लेवल-11 (विषयवार), प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य संविदा शिक्षक की सूची एवं संवर्गवार पदस्थापन हेतु उपलब्ध रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर करना।	01.07.2016 எக	सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी—जिला परिषद सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी— प्रारंभिक शिक्षा



	दिनांक	विवरण	13.07.2016	• सम्बन्धित जिला शिक्षा
	08.07.16	प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य समस्त संविदा कर्मी	तक	अधिकारी- प्रारंभिक शिक्षा
	09 력 10.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्राप्त शारीरिक शिक्षक		27
	11 平 12.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-द्धितीय (विषयवार)		
	13.07.16	काउन्सलिंग में अनुपरिधत रहे समस्त शिक्षक/संविदाकर्मी		
A 10	काउन्सलिंग प्रक्रि आदेश जारी करन	या पूर्ण होने पर पदस्थापन/समायोजन के ।।	15.07.2016	 सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद
				 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी- प्रारंभिक शिक्षा

कृपया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जायें। उपरोक्त अधिशेष शिक्षक / कार्मिकों की वरियता निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रपन्न निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर तथा निर्देशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा पृथक से जारी किया जावे।

भवदीय,

संलग्न :-समसंख्यक पत्र दिनांक 24,06.2016

(बी. आर. चौधरी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- निजी सचिव, सचिव, मा,मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2. विशिष्ट सहायक, मा शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- विशिष्ट सहायक, मा पंचायती राज मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग ।
 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक (आयोजना) शिक्षा ।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रूप-2) विभाग।
- 9. उप निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग
- 10 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि / माशि को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त तिथियों के अनुसार कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जावें तथा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

11. रक्षित पत्रावली ।

(जगदीश नारायण जाट) शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 5(8) / प्राशि / 2015

जयपुर, दिनांक 2 4 JUN 2016

- 1. निदेशक, राज.माध्यमिक शिक्षा परिषद / राज.प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 2. निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 3. समस्त जिला कलक्टर।
- 4. समस्त मुख्य-कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

विषय— अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजन / पदस्थापन के संबंध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

- 1. प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के निर्धारण एवं समानीकरण हेतु आदेश कमांक प. 5 (8)/प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 द्धारा विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा—निर्देशों के अनुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जानी है। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन किया जाना है।
- 2. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तन उपरान्त काउन्सिलंग के माध्यम से पदस्थापन/समायोजन की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांकः प. 17(2)शिक्षा-2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्धारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत कार्यवाही पूर्ण करने उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक/कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग/पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/पदस्थापन किया जाना है।
- इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर किया जाना है।
- 4. बिन्दु संख्या −1, 2 व 3 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन / समायोजन प्रारंभिक शिक्षा / पंचायतीराज विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सलिंग के माध्यम से किया जाना है।

Cons

- काउन्सलिंग की प्रकिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता है:-
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद
 अध्यक्ष
 - जिला कलक्टर द्वारा नामित
 अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर का अधिकारी सदस्य
 - 3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), माध्यमिक शिक्षा सदस्य
 - जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (द्वितीय)— सदस्य
 - 5 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (प्रथम)- सदस्य सचिव
- 6. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन / समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करेगी:—
 - (i) अधिशेष शिक्षकों / कार्मिकों के समायोजन / पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्धारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21.04.2016 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार संवर्गवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।
 - (ii) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों / शैक्षणिक किमयों की वरीयता एवं रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित कमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता कम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:—
 - a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - b) विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - c) महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - d) शेष अभ्यार्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - (iii) कार्मिक द्धारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
 - (iv) जो अध्यापक लेवल—ा एवं लेवल—ा (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रकिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रकिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्धारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
 - (v) पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों /शिक्षकों का पदस्थापन / समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा ।

GR

- (vi) आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो । संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।
- (vii) शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा।
- (viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन/समायोजन की प्रकिया के पश्चात कोई भी विद्यालय (शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोडकर) शिक्षक विहिन नहीं रहे।
 - (ix) ऐसे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge) माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है, उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन / पदस्थापन नहीं किया जाएगा।
- 7. काउन्सिलंग के पश्चात उपरोक्त सिमित द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों / किमेंयों के पदस्थापन / समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना सिमित से अनुमोदन करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना सिमित द्वारा समय पर प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

उक्त आदेश प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

> भवदीय, २५६॥ (बी.आर. चौधरी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1. निजी सचिव, सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. विशिष्ट सहायक, मा.पंचायती राज मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुंक्त पंचायतीराज विभाग।
- निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रप-2) विभाग ।
- 9. उप निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग
- 10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि / माशि, समस्त जिले
- 11. रक्षित पत्रावली ।

(जगदीश नारायण जाट) शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 5(8)प्राशि / 2016

जयपुर, दिनांकः 2 1 APR 2016

- 1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 2. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.02.2016 एवं दिनांक 08.03.2016 के द्वारा आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैं :—

- 1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होगा।
- 2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016–17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही माह 1 अप्रैल से 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ-वर्ष 2016–17 के पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण हेतु 30 सितंबर 2015 के नामांकन को आधार माना जावेगा।
- 3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ट अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ट अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा :-
 - a. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों / एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था-प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था-प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।
 - b. जिन एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत विरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

- c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
- d. बिन्दु संख्या (a) के अनुसार विष्ट अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार संलग्न पिशिष्ट—3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के विष्ट अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक {बिन्दु संख्या 3(a), (b) एवं (c) पर आवंटित पदों को कम करते हुए} निम्नलिखित क्रम में विरिष्ट अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया जावेगा
 - 1. सामाजिक विज्ञान
 - 2. अंग्रेजी
 - 3. गणित
 - 4. विज्ञान
 - 5. हिन्दी
 - 6. तृतीय भाषा
 - 7. सामान्य विषय
- 4. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा —

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरिः अध्यापक के पद का विषय	कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड—III) के विषय (03 अध्यापक लेवल – 2 आवंटित किये जाने हैं)	कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल—2 अध्यापक (ग्रेड—III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है)					
1.	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित / विज्ञान iv. अंग्रेजी					
2.	गणित	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सागाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी					
3.	अंग्रेजी	गणित / विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. अंग्रेजी ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित / विज्ञान					
4.	विज्ञान	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित/विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी					

N-

5.	हिन्दी	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी / तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
6.	तृतीय भाषा	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	 हिन्दी तृतीय भाषा सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी पणित / विज्ञान
7.	सामान्य विषय	हिन्दी / अंग्रेजी / तृतीय भाषा सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी / तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम चार में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित / विज्ञान

- 5. अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल 1 के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
 - a) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।
 - b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हैड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा। अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।
 - c) जिन विद्यालयों में प्रबोधक / शिक्षक (प्रबोधक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त) / कला अध्यापक कार्यरत / नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल 1 के पद के स्थान पर प्रबोधक / कला शिक्षक का पद दिया जावेगा।
 - d) जिन विद्यालयों में संविदाकार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (विरिष्ठ एवं अतिविरिष्ठ शिक्षाकर्मी सिहेत), पैराटीचर (मिहेला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदाकर्मियों को विन्तु संख्या 10 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सिहत अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थान्तरित किया जावेगा।



原作的,是自己的一种情况

- 6. वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड—III) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड—III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगाः
 - a) इन पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड—III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।
 - b) 120 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड—ाग का पद आवंटित किया जावेगा।
 - c) 120 से अधिक नामांकन वाले जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड—ाा के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।
 - d) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड—III) की अनुपलब्धता वाले 120 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिन्दु संख्या 5 (c) के अनुसार स्थानान्तरित किया जावेगा।
 - e) 120 से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक आवंदित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

7. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन

- a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ--साथ कक्षा 6 से 8 में शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।
- b) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के अध्यापकों से उनके पास अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार 6—8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
- c) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के अध्यापक कक्षा 1 से 8 को शिक्षण कार्य करवाएंगे।
- d) शारीरिक शिक्षक ग्रेड—III द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।
- e) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।

01

8. मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक / विषयवार निर्धारण उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी:-

1.	संबंधित उपनिदेशंक, प्रारंभिक शिक्षा –	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा –	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा –	सदस्य
4.	उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के संस्थापन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी—	सदस्य
5.	जिले के समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी –	सदस्य

- 9. उपरोक्त समिति की अभिशंषा के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग / राज्य सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त की जावेगी।
- 10. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक / कार्मिक को विषयवार / संवर्गवार अधिशेष (Surplus) किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-
 - a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थपित किया जावेगा।
 - b) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे।
 - c) अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के विषय अध्यापकों को उनके विषय के पदों के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जावे।
 - d) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान/हिन्दी व तृतीय भाषा के विषय अध्यापक आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में इन विषयों के स्वीकृत पदों पर इन्हें पदस्थापित किए जाने बाद अधिशेष रहे इन अध्यापकों (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) को अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जावेगा।
 - e) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल— 2 के सामान्य विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है ऐसे में अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल— 2 के सामान्य विषय के अध्यापकों को अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के अध्यापकों के पद के विरुद्ध प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा।

G2_

f) अध्यापक (ग्रेड—III) लेवल—1 के रिक्त पदों की गणना उपर्युक्त बिन्दु d एवं e के अनुरूप अध्यापकों के पदस्थापन के बाद शेष रिक्तियों के अनुसार की जावेगी।

s territal land to

- g) अध्यापक (ग्रेड--ाा) लेवल-1 के अध्यापक केवल अध्यापक (ग्रेड-ाा) लेवल-1 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही लगाया जावेगा।
- h) संविदा पर कार्यरत कार्मिक उनके स्वीकृत पद पर ही कार्यरत होंगे।
- i) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों / शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा:—
 - (क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।
 - (ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मानदण्डानुसार आवश्यकता नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटस्थ ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।
 - (ग) क एवं ख के अतिरिक्त रिथति होने पर निकटस्थ पंचायत समिति में स्थित विद्यालय।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

्षी.आर. चौधरी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
- 3. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
- 4. शासन उप स्चिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ।
- निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयप्र।
- सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
- उपायुक्त, (गुणवत्ता) सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
- शिक्षा उप निदेशक, समस्त संभाग ।
- 9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
- 10. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण) // ७ अनुभागाधिकारी



परिशिष्टर

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

जनांक- पा6(अशिक्षा-2/2011

जायपुर, विनावा : 16.10.2015

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :-- वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर पदोन्नित के संबंध में।

महोदय:

REM METERS

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक—उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं अन्य छह विषय यथा— गणितं अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं बेलीय गांधा के पदों में आवंदित किये जाने के अभ्वन्ध में दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा—निर्देशों से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2015 हारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक 29.09.2015 को प्रस्तुत की गई अभिशंषा के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 को विलोपित करते. हुरे प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत प्रधानाध्यापक—उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक रिक्षा विभाग में स्वीकृत हैंड टीचर के पदों को वरिष्ट अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ट अध्यापक (गणित अंग्रेजी विज्ञान हिन्दी सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा) में आवंदित करने न निम्नान्सार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:—

- ा प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवानात्यामक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा भाष्यमिक शिक्षा में हेंड टीचर के कूल पत्नों को पदोन्नित हेतु विप्रथवार प्रालव पात्र आशाधिओं के अनुमात में विभाजित ! भा जातें।
- 2. प्रारंभिक शिक्षा में प्रधानात्यावक स्वन्त प्राथमिक विद्यालय तथी माध्यमिक शिक्षा में इंदर टीचर के वर्ष 2008- 09 से वर्षवार मुद्रुव पदों के वालंदन हैतु निम्नानुस्तर वर्षवाधी की जावे

का योग :

- a) यरिन्छ अध्यापक धे पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पान्न आशार्थियों विश्व राष्ट्रया में से माध्यमिक शिक्षा के उस विषय के पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिवर पदों की संख्या घटाई जाये।
- b) बिन्यु संख्या a) से प्राप्त आशार्थियों के योग के आधार पर विषयवार पात्रता में उपहाब्य आशार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसर प्राप्त किया जावे

विषयवार् पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत बिन्दु संख्या a) के अनुसार विषयवार पात्र आशार्थियों की संख्या बिन्दु संख्या a) के अनुसार समस्त सातों विषयों हेतु पात्र आशार्थियों की संख्याओं

X100

- c) उपलब्ध प्रधानाध्यापक-उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हैडिटीचर के पदों को उक्त प्रतिशत के आधार पर विषयवार आवंटित किया जावे।
- d) बिन्दु संख्या c) से प्राप्त पदों को विषयवार स्वीकृत पदों में जोड़कर उस विषय के कुल पदों की संख्या की गणना की जावे।
- e) बिन्दु रांख्या d) के अनुसार कुल पदों की गणना के प्रध्यात नियमानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नित के पदों की संख्या की गणना की जावें।
- यदि अन्तिम रिक्त पदों में से पदोन्नित अन्यांश के पद ऋणात्मक प्राप्त होते है तो उस विषय की पदोन्नित शून्य की जाने।

अतः उवस दिशा-निर्देशों के अनुसार सन्न 2008-2009 से वरिष्ट अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ट अध्यापक गणिता, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों की रिव्यू/नियमित डीभीसी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कमलेश आयुर्भरेया) उप शासेच सचिव

प्रतिशिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है-

- निजी सिक्षा गाननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजरथान।
- 2. निजी सिवाव, सारान सिवाव, मध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
- 3. रामरचे उपनिदेशक, यहरामिक / प्रारम्भिक भिद्रा।
- 4. राधन पदावली ।

राहणकर शासनी सामेर विकास सम्बद्धाः १) विकास

शासनी संक्रिक अस्त जास

William to the document in a

परिशिष्ट-2

हैडटीचर/संस्था प्रधान-उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

क्र. सं.	संभाग का नाम	नाध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैंडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	· 2 ÷	3	. 4	÷ 5	6	7	8	9	10	11
1	जयपुर	2866	85	176	177	551	1165	310	402	2866
2	अजमेर	3223	17	129	162	643	1354	287	631	3223
3	: उदयपुर	3419	0	0	0	798	1797	0	824	3419
4	कोटा	1867	17	56	49	475	607	209	455	1868
5	जोधपुर .	2653	0	9.9	137	416	1479	292	230	2653
6	: बीकानेर :	1645	65	139	95	247	785	73	241	1645
7	चुरू	1887	82	114	J 171	355	798	81	287	1888
8	भरतपुर	1679	24	30	67	512	509	293	244	1679
9	पाली	1586	0	54	70	243	704	120	395	1586
10	योग	20825	290	797	928	4240	9198	1665	3709	20827

हैडटीचर/संस्था प्रधान—उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

(जिलेवार)

				(जिलेवार))					
क्र. सं.	जिलों का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर	550	21	45	31	81	256	24	92	550
2	गंगानगर	616	25	53	36	94	300	28	80	616
3	हनुमानगढ	479	19	41	28	72	229	21	69	479
4	बारां	414	4	12	11	104	133	46	104	414
5	बूदी	390	3	12	10	97	124	43	101	390
6	झालावाड	631	6	19	16	158	202	70	160	631
7	कोटा	433	4	14	12	115	147	51	90	433
8	भरतपुर	620	10	12	27	208	207	119	37	620
9	धोलपुर	320	5	6	13	100	99	57	40	320
10	करौली	412	5	7	15	114	113	65	93	412
11	सवाईमाधोपुर	327	4	5	12	90	90	52	74	327
12	जालीर	577	0	21	28	96	278	48	106	577
13	पाली	730	0	23	30	105	302	52	218	730
14	सिरोही	278	0	9	12	42	123	21	71	278
15	बांसवाडा	499	0	0	0	112	251	0	136	499
16	चित्तौड़गढ़	621	0	0	0	146	329	0	146	621
17	डूंगरपुर	484	0	0	0	117	262	0	105	484
18	प्रतापगढ	341	0	0	0	81	181	0	79	341
19	राजसंमद	580	0	0	0	135	305	0	140	580
20	उदयपुर	894	0	0	0	208	468	0	218	894
21	चूरु	565	25	35	52	108	243	25	77	565
22	झुंझुनू	594	23	32	48	100	224	23	144	594
23	सीकर	729	34	47	71	147	331	33	66	729
24	अलवर	1117	34	70	70	219	462	123	139	1117
25	दौसा	459	12	24	24	76	160	43	120	459
26	जयपुर	1290	40	82	82	256	542	145	143	1290
27	बाड़मेर	1378	0	53	73	221	787	155	89	1378
28	जैसलमेर	304	0	12	16	49	173	34	20	304
29	जोघपुर	971	0	35	48	146	519	1.02	121	971
30	अजमेर	739	4	32	40	158	332	70	103	739
31	भीलवाड़ा	924	5	39	49	194	408	86	143	924
-32	नागौर	1040	5	40	51	201	424	90	229	1040
33	टौंक	519	2	18	23	90	190	40	156	519
34	योग	20825	290	798	928	4240	9194	1666	3709	20825

Cap

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 22(६)शिक्षा-1/2002


जयपुर, दिनांकः 30 - 04 - 15

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांकः प. 6(13)प्र.सु. /अनु-3/2014 दिनांकः 28.05.2014 एवं 23.12.2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंषानुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

- 1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-
- 1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारण:--
- 1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11—12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9—10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6—8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1—5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—
- (i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन—12)	कला संकाय (कुल सेक्शन—12)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—12)
 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐक्छिक विषय–3) वरिष्ट अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल 2–03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) अध्यापक लेवल 1 – 02 शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/॥– 01 कुल शिक्षक–14 	प्रत्येक ऐच्छिक विषय –3)	ऐच्छिक विषय-3) • वरिष्ठ अध्यापक-04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2-02 (हिन्दी, अंग्रेजी)



(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान संकाय (कुल	कला संकाय (कुल	वाणिज्य संकाय (कुल
सेक्शन—7)	सेक्शन—7)	सेक्शन—7)
 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 3) वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल–2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान / गणित) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/ा – 01 कुल शिक्षक–12 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल–2–03 (हिन्दी,अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11 – 01 कुल शिक्षक–12 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) वरिष्ठ अध्यापक– 4 (सामा० विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल–2–02 (हिन्दी,अंग्रेजी,) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/ा – 01 कुल शिक्षक–12

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान संकाय (कुल	कला संकाय (कुल	वाणिज्य संकाय (कुल
सेक्शन—4)	सेक्शन—4)	सेक्शन-4)
 प्रधानाचार्य — 1 व्याख्याता —5 (अनिवार्य विषय—2 एवं ऐच्छिक विषय—3) वरिष्ठ अध्यापक—3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/॥ —01 कुल शिक्षक—9 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/ा – 01 कुल शिक्षक–9 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) वरिष्ठ अध्यापक– 4 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा, सा.विज्ञान) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/ा – 01 कुल शिक्षक–10

- 1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।
- 1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.1.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने एर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का




होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञांन तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

- 1.1.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ—साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.1.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.8 कक्षा 9—10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.9 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :--

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.2 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारण:-

1.2.1 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—



(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन—14)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—14)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—14)
 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08	एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06)	विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक—03 (गणित, सामाजिक विज्ञान ततीय

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-9)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—9)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—9)
 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) वरिष्ट अध्यापक–02 (गणित, तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी,अंग्रेजी विज्ञान / गणित) शारीरिक शिक्षक ग्रेड	 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक 	 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) वरिष्ठ अध्यापक 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल 2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा.विज्ञान) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11–01 कुल शिक्षक–15



(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय	कला एवं वाणिज्य संकाय
(कुल सेक्शन—6)	(कुल सेक्शन—6)	(कुल सेक्शन—6)
 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) वरिष्ठ अध्यापक–03 (हिन्दी/अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड ।/॥– 01 कुल शिक्षक–12 	 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी / अंग्रेजी,गणित,सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड । / ॥ – 01 नुल शिक्षक–13 	 प्रधानाचार्य – 01 व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11 – 01 कुल शिक्षक–13

- 1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।
- 1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ट अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ—साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.2.7 कक्षा 11—12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :--

100)

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.3. तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारण:—

1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन—16) ■ प्रधानाचार्य — 01 ■ व्याख्याता —11 (अनिवार्य विषय—2 एवं ऐच्छिक विषय— 09) ■ विष्ठ अध्यापक—04 ■ (गणित, तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी) ■ अध्यापक लेवल 2— 02 ■ शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा/॥ — 01 — कुल शिक्षक—20

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन—11) • प्रधानाचार्य — 01 • व्याख्याता —11 (अनिवार्य विषय—2 एवं ऐच्छिक विषय— 09) • वरिष्ठ अध्यापक—04 (गणित,तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 2— 02 (विज्ञान,सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड ा / ॥ — 01 • कुल शिक्षक—18



(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन-11)

- प्रधानाचार्य 01
- व्याख्याता –11
 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)
- वरिष्ठ अध्यापक—04 (हिन्दी, अंग्रेजी तृतीय भाषा, गणित)
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/॥ 01
 कुल शिक्षक–16
- 1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।
- 1.3.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ—साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.3.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 360 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :—

नामांकन	मानदण्ड		
61-200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक		
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु		
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक		

2. माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

2.1 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे

(i) कक्षा 1 से 10 तक संचालित माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

- प्रधानाध्यापक 01
- वरिष्ठ अध्यापक— ०६ (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
- अध्यापक लेवल २ ०२ (विज्ञान, अंग्रेजी)
- अध्यापक लेवल 1 02
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड ॥ / ॥ 01
 कुल शिक्षक–11

(ii) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 10) (कुल सेक्शन-05)

- प्रधानाध्यापक 01
- वरिष्ठ अध्यापक 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा
- अध्यापक लेबल २ ०१ (गणित / विज्ञान)
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड ॥ / ॥ 01
 कुल शिक्षक–08
- 2.2 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 100/
- 2.3 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 2.4 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ट अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

3 मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान

- 3.1 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.2 विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जावेगा।
- 3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 व 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.4 अध्यापक लेवल—2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल—2 द्वारा कक्षा 6—8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1—5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल—2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
- 3.5 अध्यापक लेवल—1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.6 उपरोक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जावेंगे।
- 3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला / वाणिज्य संकायों में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित रांकाय में कक्षा 11-12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर राज्य सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त कर ही खोला जावेगा।
- 3.8 यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला / वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय है एवं कक्षा 11-12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में किसी अतिरिक्त ऐच्छिक विषय में 20 से कम विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक होने पर

उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चाल् रहेगा। तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को बंद कर दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जावेगा।

अपवाद — यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षों तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बन्द किया जावेगा।

- 3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक व्याख्याता कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जावेगा।
- 3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयध्यक्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जा जायेगा। पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जावेगी।
- 3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यिमक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद, 251 से 750 नामांकन वाले उच्च माध्यिमक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यिमक विद्यालयों एवं माध्यिमक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।
- 3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे। उदारणार्थ :— एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 रो 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- 3.13 कक्षा 6 से 12 में 200 तक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक/शिक्षक ही पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- 3.14 जिन उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत हैं, ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त है, तो अतिरिक्त तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जायेगा।

4. मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड

4.1 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 10)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
माध्यमिक (6 से 10 के	100 तक	LDC-1	IV Class-1
नामांकन पर आधारित)	101-500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
12	501-1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

विद्यालय का स्तर	नामांकन (o से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्रयोगशाला सेवक
उच्च माध्यमिक (6 से 12 के नामांकन	100 तक	LDC-1	IV Class-1
पर आधारित)	101-500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501-1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

- 4.2 वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों में कमी अथवा वृद्धि कनिष्ठ लिपिक के पदों में ही की जावेगी। इसी प्रकार जमादार के कुल रवीकृत पदों में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा, पदों में कमी अथवा वृद्धि चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही की जावेगी।
- 4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पदं देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे।

5. मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया

5.1 मानदंडानुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :—

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा

अध्यक्ष

2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा

सदस्य

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा

सदस्य सचिव

4. उपनिदेशक, माध्यमिक द्वारा मनोनीत दो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से)

सदस्य

- 5.2 समिति की अभिशंषा पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त की जावेगी।
- 5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक / कार्मिक को विषयवार / संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।
- 5.4 उपरोक्तानुसार पदों के पुनःनिर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2015—16 में एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ :— वर्ष 15—16 के पदों के पुनिनिर्धारण हेतु 30 सितंबर 2014 के नामांकन को आधार माना जावेगा।
- 6 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन (वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)
- 6.1 नवकमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
- 6.2 इंन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 80 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) के विरष्ठ अध्यापक के स्थान पर व्याख्याता के पद दिये जायेंगे।

10/5

- 6.3 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
- 6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दू संख्या 3.10 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जावेगा।
- 6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जावेंगे शेष पद बिन्दु संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।
- 6.6 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिक्रमण में जारी किये जाते है।

आज्ञा से, (अन्तर सिंह नेहरा) संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
- 02. विशिष्ट सहायक, मा० शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
- 03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- 04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 05. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 06. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 2015–16 से उपरोक्तानुसार पद निर्धारित करने की कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
- 07. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 08. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 09. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय।
- 12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 14/15

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विमाग

क्रमांकः प. 22(6) शिक्षा-1/2002

जयपुर दिनांक 30.04.15

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांकः प.6 (13) प्र.सु./अनु-3/2014 दिनांक 28.05.2014 एवं 23.12.2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंसानुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :--
- एक संकाय वाले उच्च माध्यिमक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :--
- 1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11—12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9 से 10 तक 120 तक कक्षा 6—8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1—5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—
- (i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन—12)	कला संकाय (कुल सेक्शन–12)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–12)	
 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता - 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) वरिष्ठ अध्यापक – 3 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–3) 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) वरिष्ठ अध्यापक – 4 	
(गणित, सामा, विज्ञान एवं तृतीय माषा) अध्यापक लेवल 2 — 3 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) , अध्यापक लेवल 1 — 2	 वरिष्ठ अध्यापक — 3 (गणित, विज्ञान त्तीय भाषा) अध्यापक लेवल 2 — 3 (सामा. विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी) 	(सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल 2 — 2 (हिन्दी, अंग्रेजी) अध्यापक लेवल 1 — 2	
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1	 अध्यापक लेवल 1 - 2 शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II - 1 	• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1	
कुल शिक्षक — 14	कुल शिक्षक — 14	कुल शिक्षक — 14	

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च नाध्यत्तिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन—7)	कला संकाय (कुल सेक्शन-7)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-7)
• प्रधानाचार्य — 1	• प्रधानाचार्य - 1	• प्रधानाचार्य – 1
 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) 	 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) 	 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
 वरिष्ठ अध्यापक — 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) 	 वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) 	 वरिष्ठ अध्यापक – 4 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय माषा)
 अध्यापक लेवल 2 — 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित) 	 अध्यापक लेवल 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) 	अध्यापक लेवल 2 — 2 (हिन्दी, अंग्रेजी) शारीरिक शिक्षक
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1	• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1	ग्रेड I/II - 1
कुल शिक्षक — 12	कुल शिक्षक — 12	कुल शिक्षक — 12

(III) कक्ता 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय	कला संकाय	वाणिज्य संकाय
(कुल सेक्शन-4)	(कुल सेक्शन–4)	(कुल सेक्शन–4)
• प्रधानाचार्य – 1	• प्रधानाचार्य — 1	• प्रधानाचार्य – 1
 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय– 2 एवं ऐच्छिक विषय–3) 	 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) 	 व्याख्याता – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3)
 वरिष्ठ अध्यापक — 3	 वरिष्ठ अध्यापक – 3	 विष्ठ अध्यापक – 4
(गणित, सामा.विज्ञान	(गणित, विज्ञान	(गणित, विज्ञान एवं
एवं तृतीय माषा)	एवं तृतीय भाषा)	तृतीय भाषा, सामा. विज्ञान)
• शारीरिक शिक्षक	• शारीरिक शिक्षक	• शारीरिक शिक्षक
ग्रेड I/II – 1	ग्रेड 1/II – 1	ग्रेंड I/II — 1
कुल शिक्षक — 9	कुल शिक्षक — 9	कुल शिक्षक — 10

- 1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जायेगा।
- 1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐक्किक विषय होने पर विष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.1.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐक्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर. व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल—2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.1.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ—साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.1.7 कक्षा 11-12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यमार का आकलन,कर दिया जा सकेंगा।
- 1.1.8 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक 40 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त विरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.9 कक्षा 6—8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल—2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.1.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :--

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(1) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(2) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैंड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

- 1.2 दो संकाय वाले हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयाँ हेतु मानदण्डों का निर्धारण :--
- 1.2.1 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11—12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक, कक्षा 9—10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 8—8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1—5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेवशन—14)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन—14)
• प्रधानाचार्य - 1	• प्रधानाचार्य — - 1	• प्रधानाचार्य — 1
 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) 	 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) 	 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐक्छिक विषय–06)
 वरिष्ठ अध्यापक — 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) 	 वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) 	 वरिष्ठ अध्यापक — 3 (गणित, सामा. विज्ञान, तृतीय भाषा)
 अध्यापक लेवल 2 — 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित/विज्ञान) 	 अध्यापक लेवल 2 — 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) अध्यापक लेवल 1 — 2 	 अध्यापक लेवल 2 — 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) अध्यापक लेवल 1 — 2
 अध्यापक लेवल 1 — 2 शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1 	• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1	• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II — 1
कुल शिक्षक — 17	कुल शिक्षक — 17	कुल शिक्षक — 17

(ii) कक्षा ६ से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–9)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन-9)	कला एवं वाणिज्य संकाय , (कुल सेक्शन–9)
 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) विषय अध्यापक – 2 (गणित, तृतीय माषा) अध्यापक लेवल 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान / गणित) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11 – 1 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) वरिष्ठ अध्यापक – 3 (सामा.विज्ञान, गणित, एवं तृतीय भाषा) अध्यापक लेवल 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) शारीरिक शिक्षक 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय—2 एवं ऐच्छिक विषय—06) वरिष्ठ अध्यापक – 3 (गणित, विज्ञान, तृतीय माषा) अध्यापक लेवल 2 – 3 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) शारीरिक शिक्षक
কুল शिक्षक — 14	ग्रेड I/II — 1 कुल शिक्षक — 15	ग्रेड I/II — 1 कुल शिक्षक — 11

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–6)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेवशन–6)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन6)
 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) वरिष्ठ अध्यापक – 3 (हिन्दी/अंग्रेजी, गणित, तृतीय माषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11 – 1 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐक्छिक विषय–06) वरिष्ठ अध्यापक – 4 (हिन्दी/अंग्रेजी, गणित, सामा. विज्ञान एवं तृतीय माषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11 – 1 	 प्रधानाचार्य – 1 व्याख्याता – 8 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) वरिष्ठ अध्यापक – 4 (हिन्दी/अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं तृतीय माथा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 1
कुल शिक्षक — 12	' কুল शिक्षक — 13	कुल शिक्षक — 13

- 1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जायेगा।
- 1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐक्किक विषय होने पर विश्व अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐव्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहीं एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.2.7 कक्षा 11—12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.8 कक्षा 9-10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.2.9 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्युभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(1) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 क 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(2) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैंड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

- 1.3 तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण:-
- 1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11—12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9—10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6—8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1—5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :—
- (i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड :--

	विज्ञान वाणिज्य एवं	कला	संकाय (कुल सेक्शन-16)
	प्रधानाचार्य "	-	01
	व्याख्याता	-	11
	(अनिवार्य विषय-2 एवं ऐक्सि	क वि	षय-09)
	वरिष्ठ अध्यापक	-	04
	(गणित, तृतीय माषा, हिन्दी,	अंग्रे ज	ft)
	अध्यापक लेवल 2	-	02
	(विज्ञान, सामा. विज्ञान)		
ę	अध्यापक लेवल 1	-	02
	शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11	-	01
	कुल शिक्षक	Take.	20

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड :--

	विज्ञान वाणिज्य एव	वं कला संकाय (कुल सेक्शन-11)
	प्रधानाचार्य –	01
	व्याख्याता — (अनिवार्य विषय— 2 एवं ऐरि	11 चेठक विषय—09)
•	वरिष्ठ अध्यापक —	
	अध्यापक लेवल 2 —	02 (विज्ञान, सामा विज्ञान)
•	शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11-	01
	कुल शिक्षक -	18

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड :--

1

1

	विज्ञान वाणिज्य एव	वं कला	संकाय (कु	ल सेक्शन-11)	
	प्रधानाचार्य	544	01	Turk Evel	1199
e,	व्याख्याता	-	11		-
	(अनिवार्य विषय-2 एवं ऐचि	छक वि	탁ਧ-09)	- Hammer	
	वरिष्ठ अध्यापक	-	04		4
	(हिन्दी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा	, गणित	ਰ)		
	शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1/11	-	01		- 흾
	कुल शिक्षक	-	16	LIG EVEC	

- 1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जायेगा।
- 1.3.3 विज्ञान संकाय में मौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर विरुद्ध अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।
- 1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।
- 1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल-2 का पद गणित विषय का होगा।
- 1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ-साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।
- 1.3.7 कक्षा 11—12 की नामांकन 360 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता रीक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.8 कक्षा 9—10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त विश्व अध्यापक शैक्षणिक कार्यमार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.9 कक्षा 6-8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल-2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 1.3.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :--

नामांकन	मानदण्ड
61-200	(1) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(2) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैंड टीचर कार्य हेंतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

- माध्यिमक विद्यालयों हेतु मानदण्ड—
- 2.1 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे-
- (i) कक्षा 1 से 10 तक संचालित माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड-

	কুল शिक्षक	-	11
•	शारीरिक शिक्षक ग्रेड ॥/॥।	-	01
•	अध्यापक लेवल 1	=	02
•	अध्यापक लेवल 2	-	02 (विज्ञान, अंग्रेजी)
•	वरिष्ठ अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, साम	_ गा. विश	06 ज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
٠	प्रधानाध्यापक	-	01

(ii) मार्घ्यमिक विद्यालय (कक्का-6 से 10) (कुल सेक्शन-05)

• प्रधानाध्यापक	-	01
वरिष्ठ अध्यापक		06
(गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, साम	ता. वि	ज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
अध्यापक लेवल 2	-	01 (गणित/विज्ञान)
शारीरिक शिक्षक ग्रेड ॥/॥	-	01
कुल शिक्षक	-	08

- 2.2 कक्षा 9—10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
- 2.3 कक्षा 6—8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल—2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।
 - 2.4 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :-

नामांकन	मानदण्ड				
61-200	(1) प्रत्येक 30 नामांकम पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक				
	(2) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैंड टीचर कार्य हेतु				
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक				

3 मानदंड निर्घारण के अन्य प्रावधान

- 3.1 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.2 विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जायेगा।
- 3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 से 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- 3.4 अध्यापक लेवल-2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल-2 द्वारा कक्षा 6-8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1-5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल-2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
- 3.5 अध्यापक लेवल—1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- उपर्युक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जायेंगे।
- 3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला / वाणिज्य संकायों में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित संकाय 11—12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोला जायेगा।
- 3.8 यदि किसी उच्च माध्यिमक विद्यालय में कला / वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय हैं एवं कक्षा 11-12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्ततान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चालू रहेगा तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को बंद कर दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा।
 - अपवाद—यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षों तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बंद किया जायेगा।
- 3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ—साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक व्याख्याता कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जायेगा।
- 3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यिमक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जायेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयध्यक्ष प्रथम / द्वितीय / तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जायेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय / तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जायेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जायेगी।
- 3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद 251 से 750

- नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।
- 3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे। उदारणार्थ:—एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 से 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- 3.13 कक्षा 6 से 12 में 200 तक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक हैं शिक्षक / शिक्षक ही पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- 3.14 जिन उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत हैं के ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त हैं तो तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा।
- मंत्रालियक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड
- 4.1 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 10)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
ondirect)	100, तक	LDC-I	IV Class-1
	101-500 तक	LDC-I UDC/OA-1	IV Class- 2
	501-1000 तक	LDC-01 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ प्रयोगशाला सेवक
उच्च माध्यमिक (६ से 12 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101-500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501-1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

- 4.2 विरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों में कमी अथवा वृद्धि कनिष्ट लिपिक के पदों में ही की जायेगी। इस प्रकार जमादार के कुल स्वीकृत पदों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, पदों में कमी अथवा वृद्धि चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही की जायेगी।
- 4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यिमक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे।
- मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया :-
- 5.1 मानदंडानुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण उपनिदेशक, माध्यिमक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित सिमिति

द्वारा किया जायेगा:--

संबंधित उपनिदेशक, माध्यिमक शिक्षा अध्यक्ष
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा सदस्य
 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यिमक शिक्षा सदस्य सचिव

 उपनिदेशक, माध्यमिक द्वारा मनोनीत सदस्य वो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से)

- 5.2 समिति की अभिशंसा पर निदेशक, माध्यिमक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यिमक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्कता है तो वित्त विभाग / राज्य सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त की जायेगी।
- 5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चांत संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्टतम अध्यापक / कार्मिक को विषयवार / संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।
- 5.4 उपर्युक्तानुसार पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2015—16 में एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जायेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जीयेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गृत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन का आधार माना जायेगा। उदाहरणार्थ:— वर्ष 15—16 के पदों के पुनर्निर्धारण हेतु 30 सितंबर 2014 के नामांकन को आधार माना जायेगा।
- 6 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन :-(वर्ष 2013-14 एवं 2014 से 15 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)
- 6.1 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
- 6.2 इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 80 से अधिक होने पर अनिवार्य विषयों (अंग्रेजी, हिन्दी) के विरुट अध्यापक के स्थान पर व्याख्याता के पद दिये जायेंगे।
- 6.3 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नित हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जायेगी।
- 6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद नहीं दिया जायेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दु संख्या 3.10 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जायेगा।
- 6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जायेंगे शेष पद बिन्दु संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।
- 6.6 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारण हेतु पूर्व मे जारी समस्त आदेशों के अधिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

ह. संयुक्त शासन सचिव